1st वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2023-24

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

TREDCO RAJASTHAN LIMITED

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

(A Joint Venture of THDC India Ltd. &
Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited)

CIN : U35106RJ2023GOI086546

ट्रेडको

विषय–सूची

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल 03
- विजन और मिशन वक्तव्य 05
- कॉर्पोरेट सूचना 06
- परियोजना पोर्टफोलियो 07
- अध्यक्ष का अभिभाषण 11
- प्रथम वार्षिक आम बैठक की सूचना 14
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं 22
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण 24

निदेशकों की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक

- निदेशक की रिपोर्ट 2023–24 28
- एओसी–2 39

वित्तीय विवरण–वित्त वर्ष 2023–24

- वित्तीय विवरण 2023–24 41
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 72
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 83

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की पहली वार्षिक आम बैठक
दिनांकः 19 सितंबर, 2024
समयः अपराह्न 04:30 बजे
मोडः वीडियो कान्फ्रेंसिंग

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- विजन और मिशन वक्तव्य
- कॉर्पोरेट सूचना
- परियोजना पोर्टफोलियो
- अध्यक्ष का अभिभाषण
- पहली वार्षिक आम बैठक की सूचना
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

निदेशक मंडल

श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष

श्री कुमार शरद
नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल

श्री नीरज वर्मा
नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल

श्री देवकीनंदन शर्मा
नामित निदेशक, आरआरईसीएल

श्री सुनीत माथुर
नामित निदेशक, आरआरईसीएल
(31.08.2024 तक)

वर्ष के दौरान
नेतृत्व परिवर्तन

श्री दिनेश कुमार शर्मा
नामित निदेशक, आरआरईसीएल
(19.04.2024 तक)

श्री ललित वर्मा
नामित निदेशक, आरआरईसीएल
(20.03.2024 तक)

श्री अतुल जैन
नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल
(31.12.2023 तक)

श्री एच. आर. शाह
नामित निदेशक, आरआरईसीएल
(20.03.2024 तक)

"विजन और मिशन"

विजन वक्तव्य /Vision Statement

- सतत भविष्य के लिए जीवन का कायाकल्प करने वाली एक अनुकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा इकाई बनना।

- To be an exemplary Renewable Energy Entity transforming lives for sustainable future.

मिशन वक्तव्य /Mission Statement

- भावी पीढ़ियों के लिए स्थाई, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम अवसंरचना प्रदान करना।
- अरबों लोगों के लिए किफायती स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में योगदान करना।
- भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली का स्वच्छ ऊर्जा मॉडल के रूप मे कायाकल्प करने लिए अनुकरणीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
- भावी पीढ़ियों के लिए लागत प्रभावी तरीके से नवीकरणीय और सतत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
- भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली को नवीकरणीय और सतत ऊर्जा मॉडल में परिवर्तित करना।

- To provide best infrastructure for producing sustainable, affordable and clean energy for generations.
- To contribute in producing affordable clean energy for billions.
- To provide exemplary ecosystem for transforming power generation system in India towards a clean energy model.
- To provide an ecosystem for generating renewable and sustainable energy in a cost-effective manner for generations.
- To transform the power generation system in India towards renewable and sustainable energy model.

उद्देश्य /Objectives

- **नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करना:** ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट की संचयी क्षमता के साथ अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क विकसित करने का अधिदेश प्राप्त है।
- **सततता:** भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप, कंपनी का लक्ष्य स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उत्पादन सुगम बनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के राष्ट्र के प्रयासों में योगदान करना है।
- **आर्थिक विकास:** बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और प्रचालन के जरिए क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

- **Develop Renewable Energy Parks:** TREDCO Rajasthan Limited is mandated to develop Ultra Mega Renewable Energy Power Parks with a cumulative capacity of 10,000 MW in the state of Rajasthan.
- **Sustainability:** Aligning with India's renewable energy targets, the Company aims to contribute to the nation's efforts to combat climate change by facilitating the generation of clean and green energy.
- **Economic Growth:** Foster economic growth and job creation in the region through the development and operation of large-scale renewable energy projects.

कॉर्पोरेट सूचना

पंजीकृत कार्यालयः

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
एस–12, ज्योति नगर एक्सटेंशन, विद्युत भवन
जयपुर, राजस्थान–302005
94120–27999(मो.),
ई–मेल आईडीः cstredco@thdc.co.in

सांविधिक लेखा परीक्षकः

आर. के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट
103–ए, श्याम अनुकंपा, ओ–11,
अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001
94140–70501(मो.), 98290–64513(मो.)
ई–मेल आईडीः rkmalpanica@hotmail.com,
rkmalpanica@gmail.com

मुख्य कार्यकारी अधिकारीः

श्री अजय कुमार गोयल
संपर्क नं.: 9412992215
ई–मेलः akgoel@thdc.co.in

बैंकर्सः

पंजाब नेशनल बैंक
एवरेस्ट कॉलोनी,
जयपुर (राजस्थान)

परियोजना पोर्टफोलियो

अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्कों (यूएमआरईपीपी) का विकास

प्रस्तावनाः

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड का कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 25 मार्च, 2023 को निगमन किया गया था। कंपनी ने 10,000 मेगावाट की क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क विकसित करने के प्राथमिक अधिदेश के साथ 14 जून, 2023 को राजस्थान में अपने व्यवसाय का संचालन आरंभ किया। इन सौर पार्कों के लिए अनुमानित भूमि आवश्यकता लगभग 50,000 एकड़ (लगभग 20,000 हेक्टेयर) है।

प्रगति का सिंहावलोकनः

भूमि की आवश्यकता पूरी करने के लिए, पश्चिमी राजस्थान में 32,000 एकड़ सरकारी भूमि की पहचान की गई है, और भूमि आवंटन के लिए राजस्थान सरकार को अनुशंसा करने हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) को प्रस्ताव भेजा गया। आरआरईसीएल की अनुशंसा के उपरांत, 2,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क विकसित करने के लिए जैसलमेर जिले की नाचना–1 तहसील के बोडाना गांव में 4,000 हेक्टेयर (लगभग 10,000 एकड़) भूमि चिन्हित की गई।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 12 दिसंबर, 2014 को "सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क योजना का विकास" आरंभ किया, जिसमें बाद में संशोधन किए गए। इस योजना के मोड 8 के तहत, मंत्रालय सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाले सोलर विद्युत पार्कों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

प्रमुख घटनाक्रमः

- **सैद्धांतिक स्वीकृतिः** 1 फरवरी, 2024 को, ट्रेडको को सोलर पावर पार्क योजना के मोड–8 के चरण–I के तहत राजस्थान में 1292 मेगावाट का सोलर विद्युत पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह मील का पत्थर राज्य में अक्षय ऊर्जा अवसंरचना ढांचे के विस्तार के ट्रेडको के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **भूमि आवंटनः** बोडाना सोलर पार्क के लिए 4,000 हेक्टेयर सरकारी भूमि का आवंटन प्रक्रियाधीन है तथा वर्तमान में यह मामला राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के पास लंबित है। प्रस्ताव को अंतिम विचार–विमर्श तथा अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री तथा राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

परियोजना की तैयारीः

- बोडाना सोलर पार्क (1292 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए मैसर्स वॉपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया। डीपीआर तैयार करने का काम अपने अंतिम चरण में है।
- सरकारी भूमि की समुचित जांच और सीमांकन कार्य के लिए भूमि परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) निविदा दस्तावेज भी तैयारी के अंतिम चरण में हैं।
- बोडाना सौर पार्क के लिए सिविल और विद्युत कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों की तैयारी चल रही है और एमएनआरई से डीपीआर के अनुमोदन के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

परियोजना प्राधिकारः

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 1292 मेगावाट बोडाना सौर पार्क के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को अक्षय ऊर्जा पार्क डेवलपर के रूप में नामांकित किया है, तथा उसे सौर ऊर्जा उत्पादकों की ओर से कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने सहित ढांचागत गतिविधियां संचालित करने के लिए अधिकृत किया है।

भावी योजनाः

- **विस्तार योजनाएंः** ट्रेडको नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सौर पार्क योजना के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्कों की अतिरिक्त 8,000 मेगावाट क्षमता विकसित करने की योजना बना रहा है।
- **पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी)ः** ट्रेडको आरआरईसीएल के सहयोग से राजस्थान में पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास की संभावना भी तलाश रहा है। इन परियोजनाओं से ऊर्जा भंडारण क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में अधिक स्थिर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति में योगदान होगा।

भूमि अधिग्रहण रणनीतिः

राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2023 के अनुरूप, ट्रेडको ने 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिए 20,000 हेक्टेयर (लगभग 50,000 एकड़) भूमि के अधिग्रहण की योजना बनाई है। भूमि अधिग्रहण रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैः

- **60% सरकारी भूमिः** लगभग 30,000 एकड़ सरकारी भूमि की पहचान की गई है।
- **40% निजी भूमिः** भूमि एग्रीगेटर्स के माध्यम से लगभग 20,000 एकड़ निजी भूमि 30 साल के पट्टे और सीधी खरीद के आधार पर अधिग्रहीत की जाएगी।

भूमि अधिग्रहण की योजना

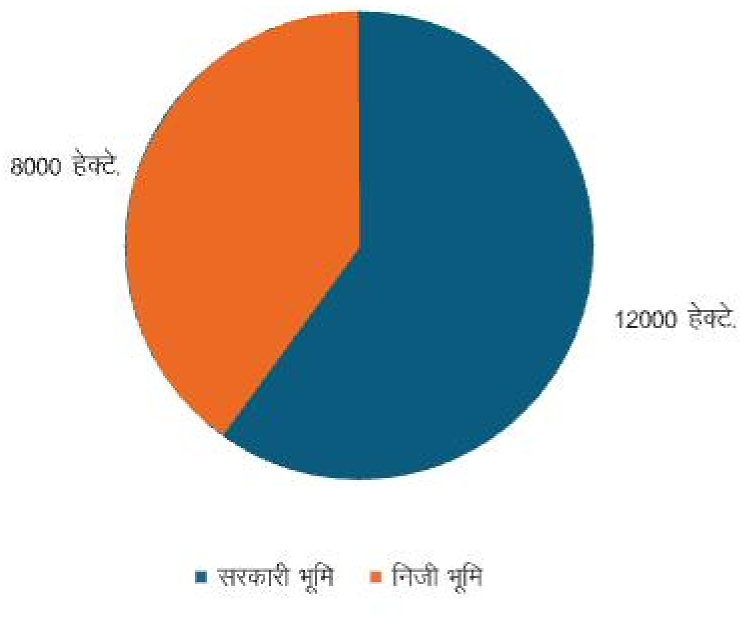

चालू और भावी परियोजनाएं:

- **बोडाना सोलर पार्क (1292 मेगावाट):** इस पार्क का विकास कार्य प्रगति पर है, आवश्यक स्वीकृतियां और परियोजना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- **2000 मेगावाट सोलर पावर पार्क (2024–26):** ट्रेडको ने जैसलमेर जिले में 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर पार्क विकसित करने की योजना बनाई है, इस परियोजना के लिए 4,000 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है।
- **भूमि एकत्रीकरण:** 5,000 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रकाशित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आरएफपी चरण के लिए 8 पार्टियों को पैनल में शामिल किया गया। भूमि एकत्रीकरण के लिए निविदा जल्द ही जारी किये जाने की उम्मीद है।
- **4000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क:** ट्रेडको ने वित्त वर्ष 2025–27 और 2026–28 के दौरान दो चरणों में 2000 मेगावाट के इन पार्कों को विकसित करने की योजना बनाई है।

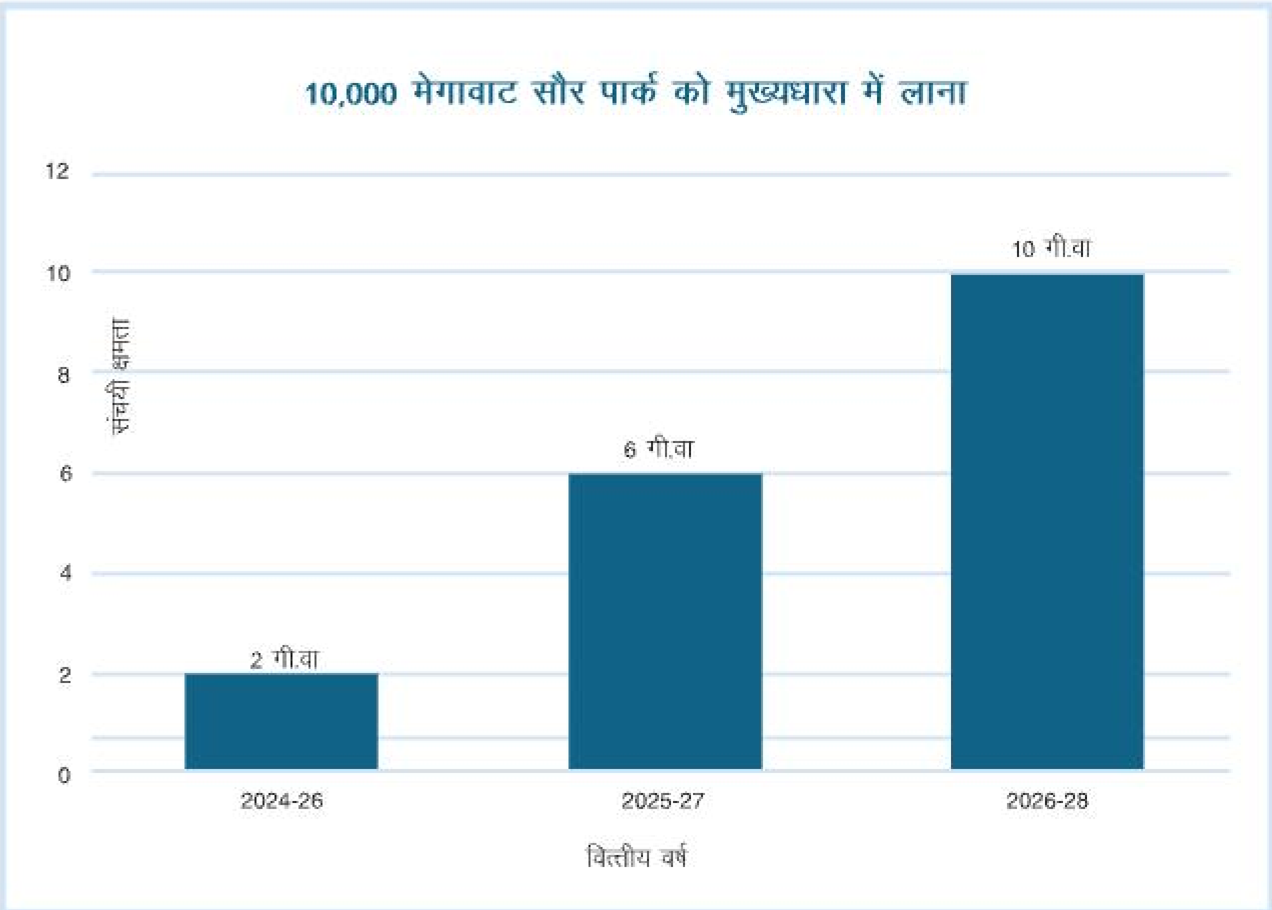

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

यह बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मैं आपके समक्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के लिए अध्यक्षीय अभिभाषण प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाजोखे के साथ–साथ लेखा परीक्षक और निदेशकों की रिपोर्ट साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें हमारी कंपनी की एक वर्ष की महत्वपूर्ण प्रगति और उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

जैसे–जैसे हम नवीकरणीय ऊर्जा, खास तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस रोमांचकारी यात्रा पर अग्रसर हो रहे हैं, मैं हमारे भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हूँ। यह उद्यम सतत विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता और नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति में हमारे भरोसे को रेखांकित करता है।

विकास दृष्टिकोण:

दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे आगे है। भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में सालाना 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की एक साहसिक योजना घोषित की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। 28 फरवरी, 2023 तक, भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावाट थी, जिसमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 82 गीगावाट और निविदा चरण में 41 गीगावाट अतिरिक्त है। इस महत्वाकांक्षी योजना में सौर, जल, पवन और जैव ऊर्जा शामिल है, जो ऊर्जा स्वतंत्रता और सततता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रत्युत्तर में, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को 25 मार्च, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया, जिसकी आरंभिक चुकता शेयर पूंजी 74:26 के अनुपात में 5 करोड़ रू है। हमारा अधिदेश स्पष्ट है, राजस्थान में 10,000 मेगावाट की क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करना, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

वित्त वर्ष 2023–24 में कार्य–निष्पादन की मुख्य बातें और चालू परियोजनाएं

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ने पिछले वर्ष काफी प्रगति की है, जो हमारे कर्मचारियों के समर्पण और हमारे हितधारकों के अटूट समर्थन से प्रेरित है। हमारी प्रमुख परियोजना, जैसलमेर जिले में 1292 मेगावाट का बोडाना सोलर पार्क, वर्तमान में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की मोड–8 योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल हरित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

बोडाना सौर पार्क की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल है:

- 1 फरवरी, 2024 को, एमएनआरई ने राजस्थान के जैसलमेर जिले की तहसील–नाचना–1, बोडाना गाँव में 1292 मेगावाट क्षमता (चरण– 1) बोडाना सौर पार्क के विकास के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
- इस परियोजना के लिए 4,000 हेक्टेयर सरकारी भूमि के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, तथा प्रस्ताव को राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से स्वीकृति मिलनी बाकी है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही मुख्यमंत्री और राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- उचित कार्य और सीमांकन के लिए भूमि परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) अंतिम चरण में है और शीघ्र ही जारी किया जाएगा।
- सिविल और विद्युत कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों की तैयारी जारी है, और एमएनआरई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
- एमएनआरई ने बोडाना सौर पार्क के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पार्क डेवलपर के रूप में ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को नामित किया है, जिससे हमें सौर ऊर्जा उत्पादकों की ओर से कनेक्टिविटी व्यवस्था सहित सभी आवश्यक ढांचागत गतिविधियां संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

कॉर्पोरेट सुशासन व्यवहार:

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड में, हमारा मानना है कि हमारे हितधारकों में भरोसे का निर्माण करने और उसे बनाए रखने के लिए एक मज़बूत कॉर्पोरेट सुशासन महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता, समानता, अखंडता, जवाबदेही और सामाजिक जिम्मेदारी हमारे कॉर्पोरेट सुशासन के मूल सिद्धांत हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे व्यवहार अनुकरणीय बने रहें, हम सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करते हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ट्रेडको ने कॉर्पोरेट सुशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीइ) के दिशा–निर्देशों का निरंतर अनुपालन किया है। हम हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करने और प्रभावी संचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। मुझे यह बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि हमें वित्तीय वर्ष के दौरान निवेशकों की कोई शिकायत नहीं मिली।

आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता:

भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनाना है। वर्तमान में, भारत अपने तेल का 90% और औद्योगिक कोयले का 80% भाग आयात करता है, जिससे देश वैश्विक बाज़ार में उतार–चढ़ाव के प्रभाव में रहता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर, विशेष रूप से बिजली, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसकी कुल मिलाकर ऊर्जा खपत में 80% से अधिक हिस्सेदारी है।

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड इन राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ खुद को जोड़कर देखता है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन क्षमता और 2040 तक 80% स्वच्छ ग्रिड हासिल करने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, ट्रेडको राजस्थान की विशाल सौर क्षमता का दोहन करके इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

दायरे का विस्तार:

आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में विद्युत के बुनियादी ढांचे के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। चूंकि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए ट्रेडको अपनी क्षमता का विस्तार करने और अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न केवल राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों में भी सौर परियोजनाएं विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) व्यवहारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि हम सार्थक जुड़ाव और पहलों के माध्यम से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, मूल्य–आधारित और सशक्त समाज बनाने में योगदान करें।

आभार:

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका अटूट समर्थन और सहयोग हमारी यात्रा में मददगार रहा है। हम अपने व्यापार भागीदारों, ग्राहकों और नियामक निकायों, जिनमें टीएचडीसीआईएल, आरआरईसीएल, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारें और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय शामिल हैं, के प्रति उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से आभारी हैं।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम को मैं विशेष धन्यवाद और प्रशंसा करना चाहता हूं। आपकी रणनीतिक अंतर्दृष्टि और अथक प्रयासों से हमारी कंपनी का प्रदर्शन काफी हद तक बढ़ा है। मैं ट्रेडको की पूरी टीम के उल्लेखनीय समर्पण के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी कड़ी मेहनत ने हमें विद्युत क्षेत्र में एक मजबूत प्लेयर बना दिया है।

हम आने वाले वर्षों में आपके निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता की आशा करते हैं। ट्रेडको परिवार का हिस्सा होने के नाते, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी कंपनी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने और हमारे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

हमारे शेयरधारकों के लिए, आपका भरोसा और विश्वास हमारी सफलता का आधार है। हम आपके निरंतर समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। इसके अतिरिक्त, हम अपने ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के योगदान की सराहना करते हैं जिनकी हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है।

अंत में, मैं अब तक जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ, उस पर मुझे बहुत गर्व है और भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। साथ मिलकर, हम न केवल सौर ऊर्जा सुविधा का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि सतत प्रगति और पर्यावरण संरक्षण की विरासत को बचाने में भी योगदान दे रहे हैं।

हमारे मिशन में आपके निरंतर समर्थन, विश्वास और आस्था के लिए धन्यवाद। आइए, यह जानते हुए कि आज हमारे प्रयास एक उज्ज्वल और स्वच्छ कल की ओर आपको लेकर जाएँगे, हम इस यात्रा के लिए आशा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं।

हस्ता. /–

(राजीव कुमार विश्नोई)

अध्यक्ष

डीआईएनः 08534217

स्थानः जयपुर

दिनांकः 19.09.2024

प्रथम वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की पहली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, अल्प सूचना पर, 19 सितंबर 2024 को अपराह्न 4:30 बजे आयोजित की जाएगीः

सामान्य व्यवसायः

1. **31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें पारित करना।**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

   "**संकल्प लिया गया** कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी के वित्तीय विवरण और लेखा नीतियों भाग के रूप में सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों के साथ, नकदी प्रवाह विवरण, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और टिप्पणियां तथा बैठक के समक्ष रखी गई निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, को एतद्द्वारा प्राप्त किया जाए, उन पर विचार किया जाए तथा उन्हें अंगीकार किया जाए।"

2. **वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित करना।**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

   "**संकल्प लिया गया** कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के रूप में 1,50,000 रुपये, साथ में लागू जीएसटी, के प्रस्ताव पर शेयरधारकों की स्वीकृति ली गई और इसे मंजूरी प्रदान की गई"

3. **सेवानिवृत्त निदेशक के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति**

   श्री कुमार शरद (डीआईएनः 10088181), नामिती निदेशक, टीएचडीसीआईएल, को निदेशक के रूप में रोटेशन से सेवानिवृत्त के स्थान पर नियुक्त करने के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

   "**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री कुमार शरद (डीआईएनः 10088181), नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल, को इस बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त के स्थान पर कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।"

विशेष व्यवसायः

4. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत चुकता पूंजी, फ्री रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम से अधिक उधार लेने की बोर्ड की शक्ति को मंजूरी देना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः**

"**संकल्प किया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों की एतद्द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है और की गई है कि कंपनी के निदेशक मंडल को समय–समय पर किसी भी राशि या धनराशि को ऐसे नियमों और शर्तों पर, प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझे, उधार लेने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (सामान्य व्यवसाय के क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ मिलकर कंपनी की वर्तमान में चुकता पूंजी, फ्री रिजर्व निधि और प्रतिभूति प्रीमियम के कुल योग से अधिक हो सकती है, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल राशि किसी भी समय 31.03.2024 तक ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की चुकता पूंजी और फ्री रिजर्व निधि और प्रतिभूति प्रीमियम के अतिरिक्त 360 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड**

हस्ता./–
श्री ए.के. गोयल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांकः 19.09.2024
स्थानः जयपुर

पंजी. कार्यालयः एस–12, ज्योति नगर एक्सटेंशन,
जयपुर, राजस्थान –302005

टिप्पणियां:

1) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें सबसे नवीनतम 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 है, ('एमसीए परिपत्र') के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है।

2) वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, एस–12, ज्योति नगर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान–302005 में आयोजित मानी जाएगी, जिसे वार्षिक आम बैठक का स्थल माना जाएगा। चूंकि वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस नोटिस में मार्ग मानचित्र संलग्न नहीं है।

3) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपनी ओर से बैठक में शामिल होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी को नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

4) चूंकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं की गई है।

5) कॉर्पोरेट शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी को बोर्ड के प्रस्ताव की विधिवत अभिप्रमाणित प्रति भेजें, जिसमें उनके प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकरण कंपनी को उसके पंजीकृत ईमेल पते cstredco@thdc.co.in पर भेजा जाएगा।

6) कार्यसूची की मद संख्या 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है और यह नोटिस का हिस्सा है।

7) एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 17 सितंबर, 2024 को या उससे पहले cstredco@thdc.co.in पर ईमेल के माध्यम से कंपनी को लिखें। कंपनी द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

8) चूंकि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) लघु सूचना पर बुलाई जाती है, इसलिए लघु सूचना की सहमति का प्रारूप इस नोटिस के साथ संलग्न है।

9) उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

10) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गिनती अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

11) कंपनी के लिए निर्धारित ईमेल पता cstredco@thdc.co.in है, शेयरधारक किसी भी प्रश्न के मामले में cstredco@thdc.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं। इसके अलावा, यदि वोटिंग मतदान के माध्यम से की जाती है तो शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना वोट इसी ईमेल आईडी पर भेजें।

12) संयुक्त धारकों के वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के मामले में, केवल वही संयुक्त धारक वार्षिक आम बैठक में वोट देने का हकदार होगा जो नामों के क्रम में ऊपर होगा।

13) अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, नोटिस में प्रस्तावित संकल्प बैठक की तिथि को पारित माना जाएगा।

14) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20(2) के साथ पठित कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 35 के अनुसार, कंपनियों को अपने शेयरधारकों को आधिकारिक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की अनुमति है।

15) वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति किये जाने वाले निदेशक के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नोटिस के अनुलग्नक के रूप में दी गई है तथा **अनुलग्नक 2** के रूप में अंकित की गई है।

16) **दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रियाः**

नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज भी इस नोटिस के जारी होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रहेंगे। अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुरक्षित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों की रुचि है, और नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज सदस्यों के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। जो सदस्य ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी को ईमेल पते cstredco@thdc.co.in पर ईमेल भेजें।

17) **सदस्यों द्वारा मतदानः**

चूंकि सदस्यों की कुल संख्या 50 से कम है, इसलिए सदस्यों को एजीएम में हाथ उठाकर अपना मत बताना होगा। हालांकि, यदि एजीएम में मतदान की मांग की जाती है, तो सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की निर्दिष्ट ई–मेल आईडी पर मतदान करने के अपने निर्णय के संबंध ई–मेल भेजें।

अनुलग्नक–I

व्याख्यात्मक वक्तव्य

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार)

मद संख्या 4: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत चुकता पूंजी और फ्री रिजर्व से अधिक बोर्ड की उधार लेने की शक्ति को मंजूरी देना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180 (1) (ग) के प्रावधानों में प्रावधान है कि किसी कंपनी का निदेशक मंडल धन उधार लेने की शक्ति का प्रयोग करेगा, जहां उधार लिया जाने वाला धन, कंपनी द्वारा पहले से उधार लिए गए धन के साथ मिलकर उसकी चुकता शेयर पूंजी और फ्री रिजर्व के कुल योग से अधिक होगा, सिवाय इसके कि एक विशेष प्रस्ताव से कंपनी के शेयरधारकों की सहमति से सामान्य व्यवसाय के दौरान कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण शामिल नहीं होंगे।

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। वर्तमान में, पहले चरण में, ट्रेडको भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की मोड–8 योजना "सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं का विकास" के तहत जैसलमेर जिले के नाचना–1 तहसील के गांव–बोडाना में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करने का इरादा रखता है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 1 फरवरी, 2024 को सोलर पार्क योजना के मोड–8 के अंतर्गत उक्त स्थान पर 1,292 मेगावाट क्षमता के बोडाना सोलर पार्क के विकास के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के अनुसार, 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के विकास की परियोजना लागत लगभग 1100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

प्रस्तावित परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए, जिसमें मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और विकास लागत, सिविल अवसंरचना और विद्युत अवसंरचना लागत, सौर पार्क की कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं, दैनिक व्यय और अन्य आकस्मिक व्यावसायिक व्यय शामिल हैं, कंपनी एमएनआरई से सीएफए, इक्विटी, ऋण और एकमुश्त विकास शुल्क के माध्यम से वित्तपोषण की मांग करेगी, जो डेवलपर्स से उनकी नियुक्ति के बाद प्राप्त होगा।

ऋण के माध्यम से परियोजना के वित्तपोषण के संबंध में, 2000 मेगावाट क्षमता वाले बोडाना सौर पार्क के पहले चरण के लिए कुल 330 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

बोडाना सोलर पावर पार्क के अलावा, कंपनी सक्रिय रूप से उसी क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं, अनुसंधान और विकास पहलों और व्यावसायिक अवसरों की खोज कर रही है, जिनके वित्तपोषण की आवश्यकता है। गहन मूल्यांकन के बाद, सीईओ ने तय किया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) के माध्यम से 360 करोड़ रुपये का ऋण वित्तपोषण की मांग की जानी चाहिए, जो पूरे बोडाना सोलर पार्क परियोजना के वित्तपोषण और अधिदेश के अनुसार सौर पार्कों के विकास के लिए अन्य परियोजनाओं और व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए पर्याप्त होगा।

इसके बाद, कंपनी के सीईओ ने भविष्य की परियोजनाओं की लागत, वित्तीय रिपोर्ट और कंपनी के परिचालन व्यय का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद यह आकलन किया कि कंपनी को अगले दो वर्षों यानी वित्त वर्ष 2024–25 और वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पहले चरण (यानी 2000 मेगावाट के लिए) के वित्तपोषण और भविष्य की परियोजनाओं की खोज और विकास के लिए अन्य खर्चों के वास्ते वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण के रूप में 360 करोड़ रुपये की इस ऋण राशि की आवश्यकता है। तदनुसार, सीईओ ने कुछ संभावित वित्तीय संस्थानों/बैंकों का पता लगाया जो अक्षय

ऊर्जा क्षेत्र के व्यवसायों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

तदनुसार, निदेशक मंडल को कंपनी की चुकता पूंजी और फ्री रिजर्व निधि से अधिक धनराशि उधार लेने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उधार ली गई कुल राशि किसी भी समय 31 मार्च 2024 तक कंपनी की चुकता पूंजी और फ्री रिजर्व निधि से 360 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

कंपनी के किसी भी निदेशक और केएमपी तथा उनके संबंधित रिश्तेदारों का संलग्न नोटिस के मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प से कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

बोर्ड कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन हेतु संलग्न नोटिस के मद संख्या 4 पर विशेष संकल्प की अनुशंसा करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड**
हस्ता./–
श्री ए.के. गोयल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांकः 19.09.2024
स्थानः जयपुर

पंजी. कार्यालयः एस–12, ज्योति नगर एक्सटेंशन
जयपुर, राजस्थान –302005

अनुलग्नक–II

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा

विवरण	श्री कुमार शरद
आयु	58 वर्ष
जन्म तिथि	20.09.1966
नियुक्ति की तिथि	25.03.2023
अर्हता	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (सिविल इंजीनियरिंग)
अनुभव	सिविल इंजीनियरिंग में 35+ वर्ष का अनुभव
अन्य कंपनियों/फोरमों में निदेशक पद/केएमपी	शून्य
अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (धारा 8 कंपनियों, विदेशी कंपनियों और निजी कंपनियों को छोड़कर)	लागू नहीं
कंपनी में रखे गए शेयरों की संख्या	1 (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के नामिती शेयरधारक के रूप में)
अन्य निदेशकों के साथ संबंध	निदेशकों के बीच कोई अंतर–संबंध नहीं
वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या	3 (तीन)
पारिश्रमिक	शून्य
नियुक्ति की शर्तें	रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी

शेयरधारक द्वारा कम समय के नोटिस के लिए सहमति और पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए सहमति

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) और धारा 96(2) के प्रावधान के अनुसार)

सेवा में

निदेशक मंडल

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

विषयः पहली वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') को कम समय के नोटिस से आयोजित करने और पंजीकृत कार्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर आयोजित करने की सहमति।

मैं, ..., ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड में 10/– रुपये प्रत्येक के .... इक्विटी शेयर धारण करता हूँ, इसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(2) के साथ पठित धारा 101(1) के अनुसरण में, कम समय के नोटिस पर और पंजीकृत कार्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

....

हस्ताक्षरः

नामः

दिनांकः

प्रमुख वित्तीय विवरण

		रू. (लाख में)
		2023–2024
क.	**राजस्व**	
1	प्रचालनों से राजस्व	0.00
2	अन्य आय	0.00
3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	0.00
4	घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	0.00
5	**कुल राजस्व**	**0.00**
ख.	**व्यय**	
6	कर्मचारी लाभ व्यय	68.37
7	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	65.60
8	प्रावधान	0.00
9	असाधारण मदें	0.00
10	**कुल व्यय**	**133.97**
11	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–10)	–133.97
12	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.00
13	**सकल लाभ (पीबीआईटी)(11–12)**	**–133.97**
14	वित्तीय लागत	0.00
15	कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि (13–14)	–133.97
16	आयकर	0.00
17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	–31.51
18	विनियामक आस्थगित खाता शेष में शुद्ध गतिविधि से पहले की अवधि के लिए लाभ (15–16–17)	–102.46
19	विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय) में शुद्ध गतिविधि	0.00
20	अवधि के लिए निरंतर परिचालन से लाभ (18+19)	–102.46
21	अन्य समग्र आय	0.00
22	ओसीआई पर आयकर – आस्थगित कर संपत्ति/देयता	0.00
23	**कुल समग्र आय (20+21+22)**	**–102.46**
ग.	**परिसंपत्तियां**	
24	मूर्त और अमूर्त संपत्ति (नेट ब्लॉक)	35.83
25	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	905.12
26	अमूर्त संपत्तियां	2.13
27	वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य	4.45
28	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	31.51
29	गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	0.00
30	अन्य गैर–चालू संपत्तियां	1.54

	31	वर्तमान परिसंपत्तियाँ–नकद एवं नकद समकक्ष	57.64
	32	विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	0.00
	33	सहायक कंपनी में निवेश	0.00
	34	**कुल परिसंपत्तियां**	**1039.22**
घ.		**देयताएं**	
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	500.00
		अन्य इक्विटी	
	36	आरक्षित एवं अधिशेष	–103.46
	37	अन्य समग्र आय	
	38	कुल अन्य इक्विटी	–102.46
	39	दीर्घावधि ऋण	
	40	गैर–चालू पट्टा देयताएं	0.00
	41	अन्य दीर्घकालिक देयताएं और प्रावधान	0.00
	42	व्यापार देयताएं– एमएसएमई के अतिरिक्त	13.14
	43	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	
	44	चालू देयताएं–अन्य	605.02
	45	अन्य चालू देयताएं	23.52
	46	विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष	0.00
	47	**कुल देयताएँ**	**1039.22**
	48	नेट वर्थ (35+38)	397.54
	49	नियोजित पूंजी (48–28)	366.03
	50	लाभांश	0.00
	51	वर्द्धित मूल्य (11)	0.00
	52	कर्मचारियों की संख्या	16.00
	53	शेयरों की संख्या (लाख में) (10 रुपये प्रति शेयर सममूल्य)	50.00
ङ		**अनुपात**	
		प्रति शेयर आय, विनियामक आस्थगित खाता शेष में शुद्ध गतिविधि सहित (10 रुपये प्रति शेयर का सममूल्य) (रू. में)	(2.39)
		चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियां / चालू देयताएं)	0.09
		इक्विटी पर रिटर्न (करों के बाद शुद्ध लाभ / औसत स्टेकहोल्डर इक्विटी)	–20.49%
		नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (ईबीआईटी / नियोजित पूंजी)	–26.79%
		प्रचालनों से राजस्व में कुल समग्र आय	0.00%
		प्रति शेयर लाभांश (रू में) (प्रत्येक रू 1000 / – शेयर)	0.00
च		**प्रचालन कार्य–निष्पादन**	
		उत्पादन (एम.यू.)	लागू नहीं

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने 25.03.2023 को ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। वे वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले, वे 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) थे। उन्हें 06.08.2021 और 01.11.2021 से क्रमशः टीएचडीसीआईएल में निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा, उन्हें 01.06.2022 से नीपको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

श्री विश्नोई बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं और उन्हें जलविद्युत परियोजना संरचनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक और गहन अनुभव है। उन्होंने एमबीए की योग्यता भी हासिल की है और रूस के मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और हाइड्रोपावर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन और निर्माण में व्यवसाय उन्नयन प्रोग्राम किया है। उन्होंने इटली के एसडीए बैकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से एएससीआई, हैदराबाद से लीडिंग स्ट्रैटेजिक चेंज में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है। वह वर्तमान में बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर तकनीकी समिति के लिए बृहत बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री नीरज वर्मा

श्री नीरज वर्मा ने 23 जनवरी 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री नीरज वर्मा ने जनवरी 1990 में इंजीनियर प्रशिक्षु के तौर पर टीएचडीसीआईएल के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जो तीन दशकों से अधिक के उल्लेखनीय करियर की शुरुआत थी।

श्री वर्मा ने टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट (एचपीपी) की सफल कमीशनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी) की बाढ़ स्थिति बहाली में भी प्रमुख भूमिका निभाई। उनका योगदान टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी), विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (वीपीएचईपी), और ढुकवां जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के डिजाइन पहलुओं की देखरेख तक विस्तारित है। इसके अलावा, उन्होंने टिहरी–पीएसपी में 01 वर्ष के लिए महाप्रबंधक (निर्माण एवं कमीशनिंग), ईएम–वर्क्स के रूप में संक्षिप्त अवधि के लिए कार्य किया।

श्री कुमार शरद

श्री कुमार शारद ने 25 मार्च 2023 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री कुमार शरद वर्तमान में कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 2021 में टीएचडीसीआईएल की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्यभार संभाला, वे सिविल इंजीनियरिंग में 1987 बैच के स्नातक हैं। उन्होंने एनटीपीसी इंडिया लिमिटेड की परियोजना पर काम करते हुए कहलगांव के सिंप्लेक्स कंक्रीट पाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में काम के दौरान स्विचयार्ड बिल्डिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पाइलिंग कार्य के निर्माण में अपना प्रारंभिक कार्य अनुभव प्राप्त किया।

टीएचडीसीआईएल में शामिल होने से पहले, उन्होंने भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी लिमिटेड में इंजीनियर (सिविल) के रूप में काम किया और रेलवे साइडिंग का काम किया। वह 1990 में टीएचडीसीआईएल में शामिल हुए और नए टिहरी शहर के निर्माण कार्य में अपनी सेवा दी। वह कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) में सिविल कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने टीएचडीसीआईएल के सतर्कता विभाग में महाप्रबंधक के रूप में अपनी प्रबंधकीय सेवाएं दीं। उन्हें टीएचडीसीआईएल में सिविल और निर्माण कार्यों में 30 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में टीएचडीसीआईएल के विकास में योगदान दिया है।

श्री देवकीनंदन शर्मा

श्री देवकीनंदन शर्मा ने 21 मार्च, 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर सरकारी सेवाओं में व्यापक अनुभव है। राजस्थान लेखा सेवा के 1996 बैच के सदस्य के रूप में, उन्होंने वित्त में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है और विभिन्न राज्य सरकार के विभागों/संगठनों में वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में, वे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए वित्तीय कामकाज की देखरेख करते हैं।

श्री सुनीत माथुर

(31 अगस्त, 2024 तक)

श्री सुनीत माथुर ने 27 जून, 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उनके पास बीई, वित्त में एमबीए की डिग्री है और वे प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (बीईई) हैं। श्री माथुर ने नवंबर 1991 में जूनियर इंजीनियर के रूप में आरआरईसीएल में अपना करियर शुरू किया था। पिछले तीन दशकों में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं और असाधारण नेतृत्व और समस्या–समाधान क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। नवीकरणीय ऊर्जा में 32 से अधिक वर्षों और ऊर्जा संरक्षण में 15 से अधिक वर्षों के अनुभव, और उनकी लगन, कड़ी मेहनत और सक्रिय दृष्टिकोण को देखते हुए, श्री माथुर को महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। आरआरईसीएल के नामित निदेशक श्री सुनीत माथुर 31 अगस्त, 2024 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए सेवानिवृत्त हो गए। तदनुसार, वह 31 अगस्त, 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे।

श्री दिनेश कुमार शर्मा

(19, अप्रैल 2024 तक)

श्री दिनेश कुमार शर्मा ने 21 मार्च 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। वे मार्च 1985 से विद्युत क्षेत्र में दशकों का अनुभव प्राप्त करते हुए सेवारत हुए हैं। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में कई परियोजनाओं को संभाला है, जिसमें उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया है। वर्तमान में, वह राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर हैं, जहां वे तकनीकी संचालन,

परियोजना कार्यान्वयन और राजस्थान में अक्षय ऊर्जा पहलों की प्रगति की देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के समापन के बाद, श्री दिनेश कुमार शर्मा, नामित निदेशक, आरआरईसीएल 19 अप्रैल, 2024 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड से सेवानिवृत्त हो गए। तदनुसार, वह 19 अप्रैल, 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे।

श्री अतुल जैन

(31 दिसंबर, 2023 तक)

श्री अतुल जैन ने 25 मार्च, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्हें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, पंप स्टोरेज प्लांट–प्लानिंग, डिजाइन और इंजीनियरिंग में 30 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री अतुल जैन ने आरईसी वारंगल से बी.टेक और आईआईटी रुड़की से मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वे ट्रेडको राजस्थान में इसके निगमन से जुड़े और 31 दिसंबर, 2023 को सेवानिवृत्ति होने तक निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री ललित वर्मा

(20 मार्च, 2024 तक)

श्री ललित वर्मा ने 25 मार्च, 2023 से 20 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित निदेशक की भूमिका संभाली। वित्तीय क्षेत्र में, विशेष रूप से सरकारी सेवाओं में 25 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ, श्री वर्मा के पास अपने पद पर ज्ञान और विशेषज्ञता का भण्डार मौजूद है। वित्तीय संचालन और सरकारी प्रोटोकॉल की उनकी गहरी समझ ने उनके कार्यकाल के दौरान रणनीतिक निर्णयों को निर्देशित करने और संगठन के भीतर विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री एच. आर. शाह

(20 मार्च, 2024 तक)

श्री एच. आर. शाह ने 28 अप्रैल, 2023 से 20 मार्च, 2024 तक ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल का प्रतिनिधित्व करने हेतु नामित निदेशक की भूमिका संभाली। तकनीकी क्षेत्र में, विशेष रूप से सरकारी सेवाओं में, दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ श्री शाह अपने पद पर ज्ञान और विशेषज्ञता का भण्डार लेकर आये हैं। उन्होंने आरआरईसीएल में एक परियोजना प्रबंधक के रूप में भी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, जहाँ उन्होंने सौर पार्क परियोजनाओं के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में उनकी तकनीकी सूझबूझ और नेतृत्व का पता चलता है।

निदेशकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2023–24

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (''कंपनी'') के कार्य–निष्पादन और उपलब्धियों पर पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

1. कंपनी का परिचय और पृष्ठभूमि

निगमन और गठन

2022 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक अनुसूची 'ए' मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) ने राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अपार संभावनाओं की पहचान की। भारत के महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने के लिए, उन्होंने एक मजबूत साझेदारी की कल्पना की।

4 जुलाई, 2022 को नीति आयोग से मंजूरी मिलने के बाद, 30 जनवरी, 2023 को टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम–सह–शेयरधारिता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत 74:26 की इक्विटी हिस्सेदारी अनुपात के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) विकसित करना है। इसके परिणामस्वरूप, 25 मार्च, 2023 को 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 5 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी वाली कंपनी ''ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड'' का गठन किया गया।

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने भी 8 अगस्त, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से इस संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रस्ताव का समर्थन किया। कंपनी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की सौर ऊर्जा पार्क योजना के तहत पांच अलग–अलग परियोजनाओं में 10,000 मेगावाट यूएमआरईपीपी विकसित करने का काम सौंपा गया था। यह मंजूरी इस शर्त के साथ दी गई कि विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल इक्विटी निवेश सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और अंतिम संयुक्त उद्यम समझौते (जेवीए) में उचित निकास और प्रथम इनकार अधिकार (आरओएफआर) खंड शामिल करेंगे।

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर जिले में 1292 मेगावाट बोड़ाना सोलर पार्क के विकास में संलग्न है। यह पहल 2000 मेगावाट के बड़े अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के चरण–1 का हिस्सा है, जिसमें एमएनआरई की सोलर पार्क योजना के मोड 8 के तहत आवंटित 4000 हेक्टेयर सरकारी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना को एमएनआरई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, और भूमि आवंटन, डीपीआर तैयार करना और निविदा प्रक्रिया सहित विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियाँ अच्छी तरह से चल रही हैं।

इसके अलावा, परियोजना के अगले चरण के लिए योजनाएँ प्रगति पर हैं, जिसमें शेष भूमि पर अतिरिक्त 708 मेगावाट सौर क्षमता का विकास करना शामिल है। इस महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन, डीपीआर तैयारी और धनराशि की व्यवस्था के काम को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

व्यवसाय का प्रारंभः

कंपनी को 14 जून 2023 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

2. व्यवसाय संचालन और परियोजनाएं

परियोजना सिंहावलोकन

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड राजस्थान के जैसलमेर जिले की नाचना–1 तहसील के बोडाना गांव में 4000 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर 2000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास का नेतृत्व कर रहा है। बोडाना सोलर पार्क के नाम से जानी जाने वाली इस परियोजना को सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं के विकास के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की मोड 8 योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है।

परियोजना की योजना दो चरणों में बनाई गई है, जिसकी संयुक्त क्षमता 2,000 मेगावाट होगी।

चरण 1: बोडाना सोलर पार्क (1292 मेगावाट)

परियोजना के पहले चरण में 1292 मेगावाट क्षमता का विकास शामिल है। परियोजना वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में है, जिसमें भूमि आवंटन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और सिविल और विद्युत कार्यों के लिए निविदा शामिल है। एमएनआरई ने इस चरण के लिए ट्रेडको को अक्षय ऊर्जा पार्क डेवलपर के रूप में नामित किया है, जिससे उसे आवश्यक बुनियादी ढांचागत गतिविधियाँ करने का अधिकार मिल गया है।

- **स्थानः** ग्राम बोडाना, तहसील नाचना–1, जिला जैसलमेर, राजस्थान।
- **विकासः** ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सौर ऊर्जा पार्क योजना के तहत 4000 हेक्टेयर भूमि पर 1292 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क विकसित कर रहा है।
- **स्वीकृतियाँः** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 1 फरवरी 2024 को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। भूमि आवंटन का प्रस्ताव फिलहाल राजस्थान सरकार के पास है और अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होने की उम्मीद है।
- **वर्तमान स्थितिः** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी अंतिम चरण में है। भूमि परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रियाधीन है।

चरण 2: बोडाना सोलर पार्क (708 मेगावाट)

परियोजना के दूसरे चरण का लक्ष्य शेष 1416 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त 708 मेगावाट क्षमता विकसित करना है।

- **स्थानः** ऊपर वर्णित में से शेष 1416 हेक्टेयर भूमि
- **स्थितिः** इस चरण के लिए आवश्यक अनुमोदन और डीपीआर की तैयारी अभी भी लंबित है। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही पूरे 4000 हेक्टेयर के आवंटन को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है, इसलिए ट्रेडको परियोजना के लिए धनराशि सुरक्षित करने के लिए निवेश और पूंजीगत व्यय की मंजूरी की मांग कर रहा है।

चरण 2 के लिए डीपीआर स्थलाकृतिक और भू–तकनीकी अध्ययनों के बाद बोर्ड के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की जाएगी, जो सौर पार्क के विकास के लिए भूमि की उपयुक्तता की पुष्टि कर चुका है।

3. वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के गठन और परियोजना गतिविधियों की शुरुआत से संबंधित शुरुआती ख़र्च को दर्शाता है। कंपनी ने इन प्रारंभिक ख़र्चों के कारण घाटा दर्ज किया।

31 मार्च 2024 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
टर्नओवर	–
कर पूर्व लाभ/हानि (पीबीटी)	(133.97)
घटाएँ: वित्तीय शुल्क	–
मूल्यह्रास/परिशोधन से पहले लाभ/हानि (पीबीडीटी)	(133.97)
घटाएँ: मूल्यह्रास	–
कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (पीबीटी)	(133.97)
कर	31.51
कराधान के बाद लाभ/हानि (पीएटी)	(102.46)
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	–
लाभांश कर	–
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	(102.46)

राजस्व मॉडल

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड का राजस्व विभिन्न स्रोतों से आने का अनुमान है, जिसमें कंपनी द्वारा विकसित अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्कों में परिचालन करने वाले सौर ऊर्जा डेवलपर्स से एकत्रित वार्षिक शुल्क भी शामिल है।

4. भावी दृष्टिकोण

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए ज़मीनी कार्य के साथ, आने वाले वर्षों में परियोजना निष्पादन में तेज़ी आने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष में बोडाना सोलर पार्क चरण 1 का निर्माण शुरू करना है और चरण 2 के लिए अनुमोदन प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

5. पूंजी संरचना

- **शेयर पूंजी:**

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये है, जो 10 रुपये प्रति शेयर के 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपये थी।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के समापन के बाद, 9 अप्रैल 2024 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने अपनी चुकता शेयर पूंजी 5,00,00,000 से बढ़ाकर 15,00,00,000 कर दी।

- **शेयरधारिता पद्धति (31 मार्च 2024 तक)**

क्र.सं.	श्रेणी	प्रत्येक 10 रू के कुल शेयर	इक्विटी
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	3700000	74%
2	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	1300000	26%
	कुल	5000000	100%

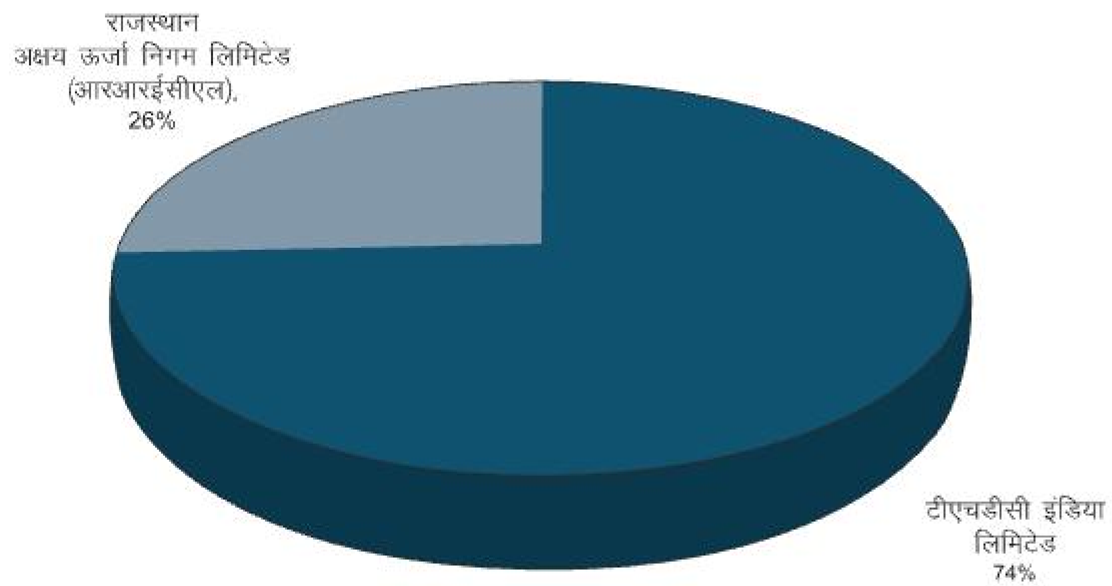

6. उधारी

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की छठी बोर्ड मीटिंग के दौरान, निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुपालना में, आम बैठक में सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव की सिफारिश की। यह प्रस्ताव बोर्ड को समय–समय पर, ऐसे नियमों और शर्तों पर, और प्रतिभूति के साथ या बिना, जैसा कि बोर्ड उचित समझे, धन उधार लेने का अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, यह निर्धारित किया गया है कि कुल ऋण, किसी भी समय, 360 करोड़ रुपये की सीमा, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार, से अधिक नहीं होगा।

7. लाभांश

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश नहीं दिया है क्योंकि कंपनी अभी प्रचालन में नहीं है और 31 मार्च 2024 तक कोई राजस्व सृजन नहीं हुआ है।

8. आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 को समाप्त अवधि में आपकी कंपनी को 102.46 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इसका मुख्य कारण कंपनी के निगमन के लिए किया गया प्रारंभिक व्यय है।

9. निदेशक मंडल

कंपनी के बोर्ड में संयुक्त उद्यम समझौते में सहमत बोर्ड संरचना के अनुसार टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल से नियुक्त नामित निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्री आर.के. विश्नोई, अध्यक्ष
2. श्री कुमार शरद, नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल
3. श्री नीरज वर्मा, नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल
4. श्री देवकीनंदन शर्मा, नामित निदेशक, आरआरईसीएल
5. श्री दिनेश कुमार शर्मा, नामित निदेशक, आरआरईसीएल

- **बोर्ड में परिवर्तन:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क्र.सं.	नाम	धारित पद	परिवर्तन की तिथि	परिवर्तन के कारण
1.	श्री अतुल जैन	नामित निदेशक	31.12.2023	सेवामुक्ति
2.	श्री एच.आर. शाह	नामित निदेशक	28.04.2023	नियुक्ति
3.	श्री एच.आर. शाह	नामित निदेशक	20.03.2024	सेवामुक्ति
4.	श्री ललित वर्मा	नामित निदेशक	20.03.2024	सेवामुक्ति
5.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामित निदेशक	27.04.2023	सेवामुक्ति
6.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामित निदेशक	21.03.2024	नियुक्ति
7.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामित निदेशक	19.04.2024	सेवामुक्ति
8.	श्री नीरज वर्मा	नामित निदेशक	23.01.2024	नियुक्ति
9.	श्री देवकीनंदन शर्मा	नामित निदेशक	21.03.2024	नियुक्ति
10.	श्री सुनीत माथुर	नामित निदेशक	27.06.2024	नियुक्ति
11.	श्री सुनीत माथुर	नामित निदेशक	31.08.2024	सेवामुक्ति

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 के समापन के बाद, श्री दिनेश कुमार शर्मा, नामित निदेशक, आरआरईसीएल 19 अप्रैल, 2024 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। तदनुसार, वह 19 अप्रैल, 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे। बोर्ड ने 9 मई 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इसका संज्ञान लिया।

इसके बाद, आरआरईसीएल ने श्री सुनीत माथुर (डीआईएनः 08881142), महाप्रबंधक, आरआरईसीएल को श्री दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर 27 जून 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया। हालांकि, श्री सुनीत माथुर (डीआईएनः 08881142), नामित निदेशक, आरआरईसीएल 31 अगस्त, 2024 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। तदनुसार, वे 31 अगस्त, 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे।

- **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः**

  31 मार्च 2024 तक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 5,00,00,000 रुपये थी, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. निदेशक मंडल की बैठकें:

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं। दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के दौरान आयोजित सभी बोर्ड बैठकों की संक्षिप्त स्थिति, जिसमें बोर्ड के सदस्यों की स्थिति और संबंधित बैठक(ओं) में उनकी उपस्थिति शामिल है, नीचे सारणीबद्ध हैः

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि तक संबद्ध निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थिति :
1	19/04/2023	5	5	100%
2	16/08/2023	5	5	100%
3	13/12/2023	5	5	100%

11. निदेशकों और बोर्ड के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन

चूंकि कंपनी निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के अनुरूप बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्य–निष्पादन और अपनी समितियों तथा व्यक्तिशः निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया।

12. वार्षिक विवरणी

वर्तमान में कंपनी अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट विकसित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी की वार्षिक विवरणी (ड्राफ्ट एमजीटी–7), कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार होल्डिंग कंपनी यानी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वार्षिक विवरणी का मसौदा प्राप्त करने के लिए वेबलिंक है– https://www.thdc.co.in/en/annual-return

13. होल्डिंग/सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। 31 मार्च, 2024 तक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास चुकता शेयर पूंजी का **74%** हिस्सा है, जबकि आरआरईसीएल के पास चुकता शेयर पूंजी का **26%** हिस्सा है। परिणामस्वरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है।

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

14. कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

चूंकि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते, इसलिए कोई प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी उपरोक्त प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

15. रोटेशन से सेवानिवृत्ति

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, श्री कुमार शरद – नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल, जिनका डीआईएन 10088181 है, आवर्तन सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में अपनी पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करते हैं।

16. सचिवीय मानकों का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

17. सांविधिक लेखा परीक्षक

हमारी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

मेसर्स आर. के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 103–ए, श्याम अनुकंपा, ओ–11, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 09 मई 2024 को आयोजित अपनी 05वीं बैठक में अनुमोदित किये गये। हस्ताक्षरित वित्तीय विवरण बोर्ड के अनुमोदन के बाद 10 मई 2024 को लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत किए गए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने विधिवत लेखापरीक्षा करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

18. सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के खातों पर एक शर्त रहित रिपोर्ट दी है। इसलिए, कंपनी के प्रबंधन के उत्तर लागू नहीं होते हैं।

19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाजोखे की समीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी टिप्पणी जारी की, अर्थात् वार्षिक लेखाजोखे पर ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने के लिए कहा है, जो रिपोर्ट में संलग्न है।

20. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) के तहत प्रकटीकरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों और दर्ज मामलों की स्थिति निम्नानुसार हैः

वर्ष 2022–23 के अंत तक प्रक्रियाधीन/ जांच अधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2023–24 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	2023–24 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	2023–24 के अंत तक प्रक्रियाधीन/ जांच अधीन मामलों की संख्या
लागू नहीं	0	0	0

21. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुसार अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। इसलिए अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के अनुच्छेद (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के तहत अपेक्षित फॉर्म एओसी–2 तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

22. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

इस वर्ष के लिए जानकारी शून्य है क्योंकि परियोजना अभी निर्माणाधीन है।

23. महिला कर्मचारी कल्याण

वर्तमान में कोई महिला कर्मचारी नहीं है। आपका प्रबंधन एक विविध और समावेशी टीम बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

24. राजभाषा कार्यान्वयन

हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार रोज़मर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

हमारा उद्देश्य द्विभाषी कार्य वातावरण को बढ़ावा देकर, अपने देश की भाषाई विविधता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी का उपयोग हमारे रोज़मर्रा के कामकाज से सहज रूप से जुड़ सके। इस नीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता न केवल सरकारी निर्देशों के अनुरूप है, बल्कि हमारी संगठनात्मक संस्कृति को भी समृद्ध करती है, हमारी भाषाई धरोहर के लिए समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देती है।

25. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए पहलें

वर्तमान में कंपनी के कार्यों का प्रबंधन होल्डिंग कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। जब भी कंपनी की गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की भर्ती की जाती है, तो आपका प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करेगा।

26. जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

वर्तमान में, कंपनी के पास कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है। चूंकि यह प्रारंभिक वित्तीय वर्ष है और कंपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीपीआर को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है, इसलिए बाद के चरण में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की योजना बनाई गई है। अंतरिम रूप में, कंपनी निरंतरता और प्रभावी जोखिम शमन सुनिश्चित करने के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

27. स्वतंत्र निदेशक के संबंध में घोषणा

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना और 5 सितंबर, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से संयुक्त उद्यम को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्रदान की है। इसलिए, आपकी कंपनी को एक संयुक्त उद्यम कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

28. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौतिक कमज़ोरी नहीं देखी गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात आर. के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

29. दिए गए ऋण और गारंटी, किए गए निवेश और प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण और गारंटी नहीं दी है और न ही कोई निवेश किया है या कोई प्रतिभूति दी है, इसलिए तत्संबंधी सूचना शून्य है।

30. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी की वर्तमान स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं:

विनियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेगा। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (vii) के अनुसार प्रकटीकरण लागू नहीं है।

31. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही का विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत न तो कोई आवेदन दायर किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

32. 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के दौरान एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और साथ में इसके कारण

आपकी कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी भी ऋण के संबंध में कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया है।

33. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत यथापेक्षित 31 मार्च 2024 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी और उक्त बकाया 45 दिनों से कम है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने एमएसएमई के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

34. 31.03.2024 तक व्यापार देयता अवधि निर्धारण अनुसूची

(रू लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(2) विवादित देनदारियां– एमएसएमई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

35. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुपालन में, निदेशकगण निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक खाते तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया, साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रदान किया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाजोखा चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया था; और

(ड़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

36. सांविधिक प्रकटन

- **वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ**

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, वित्तीय वर्ष 2023–24, जिससे संबंधित वित्तीय विवरण हैं, के समापन और रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित नहीं हुई हैं।

- **लागत रिकॉर्ड**

केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बनाए जाने और अनुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।

- **सार्वजनिक जमाएं**

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

- **व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन**

  वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के कारोबार में कोई बदलाव नहीं हुआ।

- **कर्मचारियों की सूचना**

  किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो रहा था।

- **निदेशक से ऋण**

  समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी निदेशक से कोई ऋण नहीं लिया है।

अभिस्वीकृति

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल आरआरईसीएल, एमएनआरई, एसईसीआई, आईआरईडीए, राज्य सरकार और उनके मंत्रालयों, जिलाधिकारियों और राजस्थान सरकार के अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा हमारे प्रयासों में दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए अत्यंत आभारी है।

आपका निदेशक मंडल बोर्ड में आस्था, भरोसा और विश्वास व्यक्त करने के लिए सभी हितधारकों, व्यापारिक साझेदारों और ट्रेडको राजस्थान परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त करता है।

आपके निदेशकगण ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी निरंतर विकास और उत्कृष्टता प्राप्त करती रहे, किए गए समर्पित प्रयासों और उत्साह के लिए अपनी ओर से हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं।

इसके अलावा, आपके निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना करते हैं तथा उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 19.09.2024
स्थानः जयपुर

फार्म सं. एओसी –2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबद्ध पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तृतीय प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन–देन भी शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण जो आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं है

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
ख)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	लागू नहीं
ग)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ)	अनुबंधों या व्यस्थाओं या लेन–देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	लागू नहीं
ड़)	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
ज)	तिथि, जब धारा 188 के प्रथम परंतुक के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया	लागू नहीं

2. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विस्तृत विवरण।

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
ख)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	लागू नहीं
ग)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	लागू नहीं
ड़)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं

सतत भविष्य
के लिए
सौर ऊर्जा

वित्तीय
विवरण
वित्तीय वर्ष 2023–24

वित्तीय विवरण–वित्तीय वर्ष 2023–24
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च 2024 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 को	
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू संपत्तियां			
(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	2		35.83
(ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	2		–
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2		2.13
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		906.12
(ङ) वित्तीय संपत्ति			
(i) सहायक कंपनी में निवेश		–	
(ii) ऋण		–	
(iii) अन्य	4	4.45	4.45
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	5		31.51
(छ) गैर चालू कर निवल परिसंपत्तियां शुद्ध			–
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां			–
चालू परिसंपत्तियां			
(क) इन्वेंटरी			–
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्तियां		–	
(ii) नकद और नकद समतुल्य	6	57.64	
(iii) ऋण		–	
(iv) अग्रिम		–	
(v) अन्य		–	57.64
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	7		1.54
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां			–
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष			–
कुल			**1,039.22**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	8		500.00
(ख) अन्य इक्विटी	9		(102.46)
कुल इक्विटी			397.54
गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार		–	
(iक) पट्टा देयताएं		–	
(ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं		–	–
(ख) अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं			–
(ग) प्रावधान			–
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार		–	
(iक) पट्टा देयताएं		–	
(ii) व्यापार देयताएं			

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलन पत्र (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 को	
क. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		–	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	14	13.14	
(iii) अन्य	10	605.02	618.16
(ख) अन्य चालू देयताएं	11		23.52
(ग) प्रावधान			–
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)			–
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष			–
कुल			**1,039.22**
सामग्री लेखांकन नीतियाँ	1		
वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण			
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	16		
टिप्पणी 1 से 16 लेखा का अभिन्न अंग हैं			

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–लखनऊ

ह०
(नीरज वर्मा)
नामित निदेशक
डीआईएनः 10478314

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–कौशाम्बी

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–जयपुर

हमारी संलग्न समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर.के.मालपाणी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफआरएन 002759सी

ह०
(राकेश झालनी)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 074142
यूडीआईएन : 24074142BKGUCH1588
दिनांकः 10.05.2024
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
आय			
परिचालन से राजस्व			–
अन्य आय			–
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		0	
घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास		0	–
कुल आय			–
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	12		68.37
वित्त लागत			–
मूल्यह्रास एवं परिशोधन			–
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	13		65.60
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण सीडब्ल्यूआईपी तथा भंडार एवं पुर्जों के लिए प्रावधान			–
कुल व्यय			**133.97**
नियामक स्थगन खाता शेष पूर्व लाभ/(हानि)			(133.97)
अपवादात्मक मदें– (आय)/ व्यय– शुद्ध			–
कर और नियामक स्थगत से पूर्व लाभ/ (हानि)			**(133.97)**
कर व्यय			
चालू कर			
आय कर			–
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति)/ देयता			(31.51)
विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि)			**(102.46)**
विनियामक आस्थगन खाता शेष आय/(व्यय) में शुद्ध गतिविधि – कर निवल			–
I चालू परिचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि)			**(102.46)**
II अन्य समग्र आय			
(i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः आकलन			0
अन्य समग्र आय			**0**
कुल समग्र आय (I+II)			**(102.46)**
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में शुद्ध गतिविधि सहित)			
बेसिक (₹)			(2.39)
डाइल्यूटिड (₹)			(2.39)

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में शुद्ध गतिविधि को छोड़कर)		
बेसिक (₹)		(2.39)
डाइल्यूटिड (₹)		(2.39)
सामग्री लेखांकन नीतियां	1	
वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण		
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	16	
टिप्पणी 1 से 16 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।		

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–लखनऊ

ह०
(नीरज वर्मा)
नामित निदेशक
डीआईएनः 10478314

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–कौशाम्बी

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–जयपुर

हमारी संलग्न समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर.के.मालपाणी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफआरएन 002759सी

ह०
(राकेश झालनी)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 074142
यूडीआईएन : 24074142BKGUCH1588

दिनांकः 10.05.2024
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण (रू लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले का लाभ		(133.97)
जोड़ें: विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि (कर पश्चात निवल)		–
जोड़ें: विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल गतिविधि पर कर		–
कर–पूर्व लाभ, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन शामिल है		(133.97)
निम्न के लिए समायोजनः–		
मूल्यह्रास	–	
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	–	
प्रावधान	–	
वित्त लागत	–	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	–	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	–	
बैंक जमा पर ब्याज	–	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	–	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**(133.97)**
निम्न के लिए समायोजन :–		
इन्वेंटरी	–	
व्यापार प्राप्य (बिना बिल वाले राजस्व सहित)	–	
अन्य परिसंपत्तियां	(4.45)	
ऋण और अग्रिम (चालू + ग़ैर चालू)	(1.53)	
अल्प ब्याज	–	
व्यापार देय और देयताएं	641.68	
प्रावधान (चालू + ग़ैर चालू)	–	
विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि	–	635.69
कर पूर्व परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**501.72**
निगमित कर		–
परिचालन से शुद्ध नकदी (क)		501.72
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निम्न में परिवर्तनः–		
अचल संपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	(945.22)	
अचल संपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	1.14	
पूंजी अग्रिम	–	
बैंक जमा पर ब्याज	–	

ट्रेडको

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण (रू लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार	
नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष	—	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)		(944.08)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	500.00	
उधारों की अदायगी– गैर चालू	—	
उधार आय – गैर चालू	—	
उधार– चालू	—	
पट्टा देयता	—	
ब्याज और वित्त शुल्क	—	
अनुदान	—	
लाभांश और लाभांश पर कर	—	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)		500.00
घ. वर्ष के दौरान शुद्ध नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**57.64**
ड़. प्रारंभिक नकद और नकद समकक्ष		—
च. समापन नकद और नकद समकक्ष (घ+ड़)		**57.64**

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–लखनऊ

ह०
(नीरज वर्मा)
नामित निदेशक
डीआईएनः 10478314

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–कौशाम्बी

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–जयपुर

हमारी संलग्न समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर.के.मालपाणी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफआरएन 002759सी

ह०
(राकेश झालनी)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 074142
यूडीआईएन : 24074142BKGUCH1588

दिनांकः 10.05.2024
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
क.इक्विटी शेयर पूंजी
(1) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि पर (रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31मार्च, 2024 के अनुसार राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		0
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		500
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि		**500**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

ख. अन्य इक्विटी–
(1) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि पर (रू. लाख में)

			आरक्षित एवं अधिशेष 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक		अन्य समग्र आय			
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अन्य	बीमांकिक लाभ / (हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रारंभिक जमा(I)		0	0	0	0	0	0	0
अवधि के लिए लाभ			(102.46)			(102.46)	–	(102.46)
अन्य समग्र आय					–	–		–
कुल समग्र आय			(102.46)		–	(102.46)	–	(102.46)
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी योगदान			–			–		–
लाभांश			–			–		–
लाभांश पर कर			–			–		–
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण (II)			(102.46)			(102.46)		(102.46)
जमा शेष (I+II+III+IV)		0	(102.46)	–	–	(102.46)	–	(102.46)

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217
दिनांकः 09.05.2024
स्थान–लखनऊ

ह०
(नीरज वर्मा)
नामित निदेशक
डीआईएनः 10478314
दिनांकः 09.05.2024
स्थान–कौशाम्बी

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दिनांकः 09.05.2024
स्थान–जयपुर

हमारी संलग्न समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर.के.मालपाणी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफआरएन 002759सी
ह०
(राकेश झालनी)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 074142
यूडीआईएन : 24074142BKGUCH1588
दिनांकः 10.05.2024
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणीः—2

31 मार्च, 2024 के अनुसार संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति

(रू लाख में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
विवरण	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान अतिरिक्त	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
क. संपत्ति, संयंत्र, उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. भूमि फ्री होल्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. डूब क्षेत्र में भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. भवन अस्थाई ढांचे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सड़क पुल और पुलिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. जल निकासी सीवरेज और जल आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ईडीपी मशीनें	–	10.86	3.60	14.46	–	2.92	0.95	3.87	10.59	–
10. विद्युत संस्थापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. पारेषन लाइनें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	–	5.43	–	5.43	–	0.72	–	0.72	4.71	–
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	–	23.39	–	23.39	–	2.86	–	2.86	20.53	–
14. वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15. रेलवे साइडिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध और स्पिलवे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17. हाइड्रोलिक कार्य–सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	–	**39.68**	**3.60**	**43.28**	–	**6.50**	**0.95**	**7.45**	**35.83**	–
पिछली अवधि के आंकड़े	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख. अमूर्त संपत्तियां										
1. अमूर्त संपत्ति–सॉफ्टवेयर	–	2.36	–	2.36	–	0.23	–	0.23	2.13	–
कुल जोड़	–	**2.36**	–	**2.36**	–	**0.23**	–	**0.23**	**2.13**	–
पिछली अवधि के आंकड़े	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणीः—2

31 मार्च, 2024 तक संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति

(रू लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान अतिरिक्त	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31मार्च, 2024 के अनुसार	31मार्च, 2024 के अनुसार	
ग. उपयोग अधिकार संपत्ति										
1. उपयोग अधिकार – भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. उपयोग अधिकार – कोयला युक्त भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. उपयोग अधिकार – भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. उपयोग अधिकार – वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पिछली अवधि के आंकड़े	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मूल्यह्रास का विवरण					चालू वर्ष					
मूल्यह्रास ईडीसी को हस्तांतरित					6.73		–			
पी एंड एल के विवरण में स्थानांतरित मूल्यह्रास					–		–			
लाभ एवं हानि विवरण में स्थानांतरित मूल्यह्रास					–		–	–		
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान						6.73				
1500.00 रुपये से अधिक										
लेकिन 5000.00 रुपये से कम										
कीमत वाली अचल संपत्तियां										
जो वर्ष के दौरान पूरी तरह से खरीदी और मूल्यह्रास की गईं					0.39		–			

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी: –3

प्रगति पर पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2023 को	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए: 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए: 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क. प्रगति पर निर्माण कार्य						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		–	–	–	–	–
सड़कें पुल और पुलिया		–	–	–	–	–
जल आपूर्ति सीवरेज और जल निकासी		–	–	–	–	–
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		–	–	–	–	–
हाइड्रोलिक कार्य, बांध स्पिलवे, जल चौनल, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य		–	–	–	–	–
वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र		–	–	–	–	–
विद्युत स्थापना और उप–स्टेशन उपकरण		–	–	–	–	–
सौर ऊर्जा का विकास		0	23.60	–	–	23.60
अन्य		–	7.87	–	–	7.87
व्यय लंबित आवंटन						
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		–	–	–	–	–
निर्माण के दौरान व्यय	15	0	874.65			874.65
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		–	–	–	–	–
कुल		–	**906.12**	–	–	**906.12**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 4
गैर चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार
प्रतिभूति जमा		4.45
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां		–
सहायक कंपनी में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि		–
कुल		**4.45**

टिप्पणी :– 5
आस्थगित कर परिसंपत्ति (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्ति		31.51
कुल		**31.51**

टिप्पणी :– 6
नकद और नकद समतुल्य (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार
नकद एवं नकद समतुल्य		
बैंकों के पास शेष राशि (बैंकों के पास ऑटो स्वीप जमा सहित)		57.64
चेक–ड्राफ्ट हाथ में		–
कुल		**57.64**

टिप्पणी :– 7
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार
जमा कर		1.54
कुल		**1.54**

टिप्पणी :– 8
शेयर पूंजी (रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि
अधिकृत			
10/– रुपये प्रति इक्विटी शेयर		50000000	5000
जारी अभिदत्त और चुकता			
10/– रुपये प्रति पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर		5000000	500
कुल		**5000000**	**500**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 8.1
कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%
5% से अधिक शेयर होल्डिंग			
I टीएचडीसी इंडिया लिमि.		3700000	74
II आरआरईसीएल		1300000	26
कुल		**5000000**	**100**
प्रत्येक 1 शेयर धारण करने वाला नामित शेयरधारक – श्री अतुल जैन श्री कुमार शरद श्री ए.बी. गोयल श्री संदीप सिंघल श्री दिनेश कुमार शर्मा			

टिप्पणी :– 9
अन्य इक्विटी

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन		0
प्रतिधारित कमाई		(102.46)
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व		–
अन्य समग्र आय		–
कुल		**(102.46)**

टिप्पणी :– 10
चालू– वित्तीय देनदारियाँ– अन्य

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार
देयताएं		
व्यय हेतु		
अन्यों के लिए	603.27	603.27
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण धनराशि	1.75	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि	–	1.75
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धन		–
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन बकाया नहीं		
कुल		**605.02**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 11
अन्य वर्तमान देनदारियां

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार
देयताएं		
मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिम के खाते में आस्थगित राजस्व		–
अन्य देयताएं		23.52
सिंचाई घटक में योगदान		
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त योगदान		–
घटाएं:–	–	
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		–
कुल		**23.52**

टिप्पणी :– 12

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार	
वेतन मजदूरी भत्ते एवं लाभ			687.21
भविष्य निधि एवं निधि में अंशदान			47.35
पेंशन निधि			32.10
ग्रेच्यूटी			21.60
कल्याण व्यय			11.07
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			-
कुल			**799.33**
घटाएं: ईडीसी में स्थानांतरित	15		730.96
कुल			**68.37**

टिप्पणी :– 13

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार	
किराया			
कार्यालय हेतू किराया		28.41	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		1.42	29.83
दर एवं कर			-
जल उपयोग प्रभार			-
विद्युत एवं ईंधन			3.03
बीमा			-
दूरसंचार			6.16
मरम्मत एवं रखरखाव			
संयंत्र एवं मशीनरी		-	
स्टोर एवं स्पेयर पार्टस की खपत		-	
भवन		0.01	
अन्य		2.92	2.93

ट्रेडको

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 13

उत्पादन प्रशासन एवं अन्य खर्चे

(रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार	
यात्रा एवं परिवहन			29.45
वाहन किराया एवं चलाना			14.15
अन्य सामान्य खर्चे			66.38
लेखा परीक्षकों का भुगतान			1.77
परिसम्पत्ति की बिक्री पर हानि			0.86
बट्टे खाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय			63.83
कुल			**218.39**
घटाए :–			
ईडीसी में स्थानांतरित	15		152.79
कुल			**65.60**

टिप्पणी :– 14

31 मार्च, 2024 तक विविध लेनदार

सेवाओं के लिए विविध ऋणदाता–राजस्व – एमएसएमई के अलावा

(रू लाख में)

पक्षकार नाम	जमा शेष	कुल	45 दिनों तक का
आर.के. सेमवाल	5.94	5.94	5.94
वापकोस लिमिटेड	7.20	7.20	7.20
कुल		**13.14**	**13.14**

टिप्पणी :– 15

निर्माण के दौरान खर्च

(रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार	
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय			
वेतन, वेतन भत्ते और लाभ		618.84	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		47.34	
पेन्शन निधि		32.10	
ग्रेच्युटि		21.60	
कल्याण		11.07	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		–	730.95
अन्य खर्च			
किराया			
कार्यालय का किराया		28.41	
कर्मचारी आवास का किराया		1.42	29.83
दर और कर			–
जल उपयोग शुल्क			–
बिजली और ईंधन			3.03
बीमा			–

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 15
निर्माण के दौरान खर्च

(रू लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के अनुसार	
अन्य व्यय			
संचार			**6.16**
मरम्मत और रखरखाव			
संयंत्र और मशीनरी		–	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		–	
भवन		0.01	
अन्य		2.92	2.93
यात्रा एवं परिवहन			29.45
वाहन किराये पर लेना और चलाना			14.16
अन्य सामान्य व्यय			66.37
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.86
अन्य ब्याज			–
मूल्यह्रास	**2**		**6.73**
कुल व्यय (क)			**890.47**
प्राप्तियां			
अन्य आय			
ब्याज			
बैंक जमा से		15.60	
अन्य से		–	15.60
किराया रसीद			0.32
विविध रसीदें			0.17
कुल प्राप्तियां (ख)			**16.09**
कर–पूर्व शुद्ध व्यय			**874.38**
कराधान के लिए प्रावधान			
कराधान सहित शुद्ध व्यय			**874.38**
कराधान सहित निवल व्यय			
ओसीआई के माध्यम से एक्चुरियल कराधान सहित निवल व्यय लाभ/(हानि)			–
पिछले वर्ष से आगे लाया गया संतुलन			–
कुल ईडीसी			**874.38**
घटाएं:–			
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		–	
स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की ई.डी.सी. लाभ एवं हानि खाते में जमा की जाएगी		–	–
शेष राशि सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेनीत की गई			**874.38**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी 1– सामग्री लेखांकन नीति

1. **सामान्य सूचना**

1.1 ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित है और शेयरों के साथ एक लिमिटेड कंपनी (CIN: U35106RJ2023GOI086546) है और यह टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी के शेयर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (74%) और आरआरईसीएल (26%) के पास हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता डी–144, कुशुम विहार, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, 302017 है, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशों में सोलर पार्कों की पहचान, सर्वेक्षण, योजना, प्रचार, विकास, संचालन, रखरखाव करना है।

1.2 **अनुपालन का विवरण**

1.2.1 ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू व्यवसाय आधार पर तैयार किए गए हैं और ये यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानदंडों (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जहां तक अधिसूचित और लागू हो) का अनुपालन करते हैं।

1.2.2 ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रूपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय अन्यथा उल्लेख किए गए अनुसार।

1.2.3 ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ("कंपनी") 25 मार्च, 2023 को निगमित की गई है। वित्तीय विवरण 25 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक तैयार किए जाते हैं।

2. **अनुमान एवं मान्यताएं**

2.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए ऐसे अनुमान और धारणाएँ आवश्यक हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। हालाँकि ऐसे अनुमान और धारणाएँ सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित और विवेकपूर्ण आधार पर बनाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अंतर उस वर्ष में पहचाने जाते हैं जिसमें वास्तविक परिणाम सुगठित होते हैं।

3. **प्रगतिशील पूंजीगत कार्य**

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (जिसमें परियोजना भी शामिल है) पर किया गया व्यय, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागतों में आयात शुल्क, गैर–वापसीयोग्य कर (व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद) सहित परिसंपत्ति की खरीद कीमत और ऐसी लागतें शामिल हैं जो सीधे परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है।

3.2 आपूर्ति–सह–निर्माण संविदा के संबंध में, स्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाता है।

3.3 निर्माणाधीन परियोजनाओं से सीधे जुड़ी लागत में कर्मचारी लाभ की लागत, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, साइट की तैयारी की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी और संचालन शुल्क, स्थापना और असेंबली लागत, पेशेवर शुल्क, परियोजना के निर्माण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास और

परियोजनाओं के निर्माण से जुड़ी अन्य लागतें शामिल हैं। ऐसी लागतों को निर्माण परियोजनाओं/प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है और कंपनी द्वारा अर्जित कोई भी आय सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित कर दी जाती है और सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित लागत से, जैसे सावधि जमा पर ब्याज, किराया रसीदें, विविध रसीदें, आदि घटा दी जाती है।

4. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

4.1 आरंभ में पीपीई का आकलन अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर किया जाता है, जिसमें डी–कमीशनिंग या बहाली लागत शामिल होती है, और जहां भी आवश्यक हो, मूल्यह्रास और हानि (यदि कोई हो) घटा दी जाती है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई है और उपयोग के लिए तैयार है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

4.2 मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड–बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है। उन स्पेयर पार्ट्स की वहनीय राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है, उस वक्त पहचान से हटा दी जाती है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री के रूप में रखा जाता है और उपभोग पर लाभ और हानि के विवरण में उल्लेख किया जाता है।

4.3 यदि मान्यता मानदंड पूरा हो जाता है तो महत्वपूर्ण हिस्से के प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

4.4 पीपीई की किसी वस्तु का निपटान होने पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, अमान्य कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में की जाती है) उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त की गई थी।

5. अवमूल्यन और परिशोधन

5.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में वृद्धि/कटौतियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के उपयोग/निपटान के लिए तैयार होने की तिथि से/तक समानुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

5.2 टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, न्यायालयों के निर्णय आदि के कारण दीर्घकालिक देयता में वृद्धि/कमी के कारण परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि और परिवर्तन के मामले में, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अमोर्टाइज्ड मूल्यह्रास राशि प्रदान की जाती है।

5.3 संगठन की नीति के अनुसार, किसी भी मूर्त संपत्ति पर लगाया गया मूल्यह्रास, चालू पूंजीगत निर्माण कार्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

5.4 लैपटॉप योजना के तहत कर्मचारियों को कार्यालयिन कामकाज के लिए लैपटॉप को चार वर्ष की अवधि में शून्य बचत मूल्य के साथ बही खाते में डाला जा रहा है इन वस्तुओं पर मूल्यह्रास सीधे आधार पर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगाया जाता है।

5.5 अस्थायी निर्माणों का अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में 1/– डब्ल्यूडीवी के रूप में रखकर पूर्णतः (100%) मूल्यह्रास किया जाता है।

5.6 5000/– रुपये तक परंतु 1500/– रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों के संबंध में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) खरीद के वर्ष में 100%

मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

5.7 1500/– रुपये तक की लागत वाली कम मूल्य की वस्तुएं, जो परिसंपत्तियों की प्रकृति की हैं, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता है और राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है

5.8 उपयोग के अधिकार वाली भूमि की लागत पट्टे की अवधि या संबंधित परियोजना के जीवनकाल, जो भी कम हो, पर परिशोधित की जाती है।

5.9 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है तथा कानूनी उपयोग के अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी पहले हो, पर सीधी पंक्ति पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीईआरसी विनियमन के अनुसार किया जाता है।

5.10 संयंत्र एवं मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया है और ऐसी वस्तु की वहनीय राशि में जोड़ा गया है, का मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति पर किया जाता है।

6. अमूर्त संपत्ति

6.1 अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों का आमलन लागत पर आरंभिक मान्यता के आधार पर किया जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित क्षीणता हानि घटाकर रखा जाता है।

6.2 आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) को अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन और क्षीणता हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

6.3 अमूर्त परिसंपत्ति की एक वस्तु को निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, मान्यता रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में उल्लेखित किया जाता है, जब परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

6.4 संगठन द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन, चालू पूंजी निर्माण कार्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो आकलन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता पर, लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो वह अन्य बातों के साथ–साथ उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डेटा उपलब्ध है।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ जिनके लिए उचित मूल्य का आकलन किया जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य क्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य आकलन के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य आकलन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य आकलन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट अवलोकनीय नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनाई जाने वाली उचित मूल्य तकनीकों की समीक्षा करती है और ऊपर निर्दिष्ट किसी भी उपयुक्त स्तर को लागू करके तदनुसार उचित मूल्य निर्धारित करती है।

8. नकद और नकदी समकक्ष

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समकक्ष में बैंकों में नकदी (ऑटो स्वीपिंग एफडी), हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होती हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

9. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां।

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद हो, नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए संविदात्मक दायित्व या ऐसी शर्तों के तहत वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के लिए आदान–प्रदान करना होता है, जो कि कंपनी के लिए संभावित रूप से अनुकूल हों। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक बैलेंस, कर्मचारियों को अग्रिम राशि, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के मौजूदा व्यापार मॉडल और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर, निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है:

1.) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ,

2.) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ, और

3.) लाभ/हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

9.4 **प्रारंभिक पहचान और आकलन:**– व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी लेनदेन लागत शामिल है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। जहां लेनदेन मूल्य उचित कीमत का आकलन नहीं है और उचित मूल्य का निर्धारण एक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जो बाजार से अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग करता है, लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है और अन्य मामलों में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करके वित्तीय इंस्ट्रयुमेंट के जीवनकाल में विस्तारित किया जाता है। ईआईआर की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापार प्राप्तियों का आकलन उनके लेनदेन मूल्य पर करती है क्योंकि इसमें कोई महत्वपूर्ण

वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है।

10. वित्तीय देनदारियां

10.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सौंपने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान–प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है, जो कि कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

10.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापार एवं अन्य देयताएं शामिल हैं।

10.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और आकलन

10.3.1 वित्तीय देनदारियों को आरंभ में उचित मूल्य में से लेनदेन लागत घटाकर पहचाना जाता है जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे से संबंधित होती है और बाद में परिशोधित लागत पर आकलन किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर को लाभ और हानि के विवरण में या निर्माण संबंधी व्यय में, यदि कोई अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति देता है, दर्शाया जाता है।

10.3.2 उधारों को चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

11.1 प्रावधान उस वक्त स्वीकार किये जाते हैं, जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक राशि के प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

11.2 आकस्मिक देनदारियों का खुलासा प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन द्वारा लगाए गए वर्तमान अनुमानों का उपयोग करके वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

11.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का आगमन संभावित हो।

12. राजस्व मान्यता और अन्य आय

12.1 भारतीय लेखा मानक 115 के तहत, राजस्व की पहचान तब की जाती है जब इकाई किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्व पूरा करती है। कंपनी राजस्व (बिक्री) उत्पन्न नहीं कर रही है और शुरुआती चरण में है।

13. व्यय

13.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000 / – रुपये या इससे कम के पूर्वभुगतान व्ययों को उनके वास्तविक लेखा शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

13.2 2.00 करोड़ रुपये से अधिक की पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख कर ठीक किया जाता है, जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई आरंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई आरंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः दर्शाया जाता है।

13.3 वाणिज्यिक परिचालन से पूर्व शुद्ध आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों और प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

13.4 डीपीई दिशानिर्देश के तहत निर्धारित पिछले वर्ष के लाभ के उचित प्रतिशत की राशि अनुसंधान एवं विकास के लिए गैर–समाप्ति योग्य निधि के रूप में अलग रखी गई है।

14. कर्मचारी लाभ

14.1 कंपनी के कर्मचारी मूल कंपनी से सेकंडमेंट पर हैं। कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश नकदीकरण, दीर्घ सेवा पुरस्कार, वित्तीय लाभ योजना और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं। मूल कंपनी के साथ व्यवस्था के अनुसार, कंपनी पीएफ और पेंशन योजना के लिए कंपनी में की गई सेवा की अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का अंशदान करती है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए, कंपनी मूल कंपनी के परामर्श के अनुसार उपयुक्त समायोजन करती है। एक्चुरियल लाभ/हानि, यदि कोई हो, मूल कंपनी द्वारा लेखबद्ध की जाएगी।

14.2 भारत सरकार के क्रमांक डब्ल्यू–02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभ बरकरार रखा गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ), ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और पेंशन के लिए मूल वेतन (बीपी) और महंगाई भत्ते (डीए) के 30% तक का योगदान कर सकते हैं।

15. आयकर

आयकर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हो। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

15.1 चालू आयकर

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कंपनी द्वारा चालू कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15.2 आस्थगित कर

15.2.1 आस्थगित कर को तुलन–पत्र दृष्टिकोण के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहनीय राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अंतर को तुलन पत्र विधि का उपयोग करके लेखाओं में शामिल किया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती कर योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके तहत उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है, ऐसे मामलों में जहां लेनदेन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ या हानि को।

15.2.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ

उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध अस्थायी अन्तरों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का उन कर दरों पर आकलन किया जाता है जिनकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है, जिसमें देनदारियों का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का आकलन होता है, जो कि कर की दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होते हैं, जिन्हें तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का आकलन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के तरीके से उत्पन्न होंगे।

15.2.3 आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहाँ शेष राशि का निवल आधार पर निपटान का इरादा होता है।

15.2.4 जब आयकर उपचारों के बारे में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकारी अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करने की संभावना रखता है। यदि यह निष्कर्ष निकालता है कि कर प्राधिकारी अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करने की संभावना नहीं रखता है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता दी जाती है। अनिश्चितता के प्रभाव को उस विधि का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में अनिश्चितता के परिणामः सबसे संभावित परिणाम या अपेक्षित मूल्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि प्रत्येक अनिश्चित कर उपचार को अलग से या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर उपचारों के साथ संयोजन में माना जाए, जो उस दृष्टिकोण पर आधारित है जो कि अनिश्चितता के समाधान को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है।

16. नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण इंड एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य के लिए नकदी और नकदी समकक्ष में हाथों में होने वाली नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास कॉल पर रखी गई जमाराशियां, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम, और बैंक ओवरड्राफ्ट के अधीन हैं। हालाँकि, तुलन पत्र प्रस्तुति हेतु, बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देनदारियों में उधार के भीतर दर्शाया जाता है।

17. चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण –

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

17.1 किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब इसकी :

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद है
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया है
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, अथवा
- नकदी या नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक विनिमय या देयता के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

17.2 किसी दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने की उम्मीद है
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर निपटाया जाना है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

17.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

18. प्रति शेयर आय

18.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है जिन्हें सभी संभावित डाइल्यूटिड इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता था।

वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए किसी भी बोनस शेयर के लिए प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित किया जाता है।

19. विविध

19.1 लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि आपूर्तिकर्ता ने लैपटॉप, कंप्यूटर आदि जैसे व्यय और परिसंपत्तियों के संबंध में टीएचडीसी के नाम पर बिल जारी किया था, लेकिन ट्रेडको लिमिटेड ने ऐसे व्यय और परिसंपत्तियों को अपनी बही खातों में दर्ज किया है।

19.2 जैसा कि हमने देखा है कि कुछ परिसंपत्तियां जैसे लैपटॉप, आवासीय इकाइयां आदि ट्रेडको लि. के कर्मचारियों द्वारा खरीदी गईं, क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने कर्मचारी के नाम से बिल बनाया था, लेकिन कंपनी ने ऐसी परिसंपत्तियों को अपने बही खातों में दर्ज किया।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

16. लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ:

1. आकस्मिक देयताएं –

1.1 निष्पादित किये जाने वाली शेष संविदाओं (पूंजीगत प्रतिबद्धता) की अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाकर) रु. शून्य है।

2. कंपनी को केवल ईएमडी/एसडी के तहत अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ एफडीआर प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी के पास ईएमडी और प्रतिभूति जमा के लिए एफडीआर राशि शून्य रुपये की है, इसके अलावा ठेकेदारों से जमा राशि 1.75 लाख रुपये है, जैसा कि नोट संख्या 10 में दर्शाया गया है।

3. इंड एएस–24 के अंतर्गत प्रकटीकरण "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण":–

(क) संबंधित पक्षों की सूची:

(1) मूल:

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का मुख्य स्थान
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	भारत
आरआरईसीएल	भारत

(2) कार्यात्मक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

क्र.सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1	श्री आर.के. विश्नोई	अध्यक्ष	25.03.2023 से
2	श्री कुमार शरद	नामित निदेशक	25.03.2023 से
3	नीरज वर्मा	नामित निदेशक	23.01.2024 से
4	दिनेश कुमार शर्मा	नामित निदेशक	21.03.2024 से
5	देवकीनंदन शर्मा	नामित निदेशक	21.03.2024 से

(3) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य संस्थाएं।

कंपनी 25.3.2023 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (कें.सा.क्षे.उ.) की सहायक कंपनी है, जिसका नियंत्रण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास है, जिसके अधिकांश शेयर हैं। भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है या जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित घोषणाएं की हैं।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	संबद्ध पक्षों के नाम	संबंध की प्रकृति
1.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	धारक कंपनी (74.00%)
2.	आरआरईसीएल	शेयरधारक (26.00%)

(4) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन निम्नानुसार (रू लाख में)

कंपनी/पक्षकार का नाम	कंपनी के लेनदेन की प्रकृति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	ट्रेडको लिमिटेड की ओर से 31.3.2024 तक किए गए व्यय के कारण देय राशि,	589.21
आरआरईसीएल	सौर पार्क पंजीकरण के लिए भुगतान की गई राशि	23.60
आरआरईसीएल	इक्विटी अंशदान	130.00
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	इक्विटी अंशदान	370.00

(5) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक: स्वतंत्र निदेशकों की फीस और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य लाभ और व्यय 68.38 लाख रुपये हैं। (रू. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.3.2024 को समाप्त वर्ष
1	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	67.26
2	सेवानिवृत्ति के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	1.12
3	सेवानिवृत्ति लाभ	–
4	शेयर–आधारित भुगतान	–
	कुल	**68.38**

(6) संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि निम्नानुसार है: (रू. लाख में)

विवरण	31.3.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार
देय राशि:	
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को	589.21

(7) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम:

(क) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों तथा बाजार दरों पर किया जाता है

4. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और डाइल्यूटिड

प्रति शेयर आय (मूलभूत और तनुकृत) की गणना के लिए विचारित बातें निम्नानुसार हैं:

विवरण	2023–24
कर पश्चात शुद्ध लाभ (रूपये लाख में)	(102.46)
विभाजक के रूप में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	4291530
प्रति शेयर आय – मूल – डाइल्यूटिड	रू. लाख (₹) (2.39) (2.39)
प्रति शेयर अंकित मूल्य	रू.10.00

5. कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 ''आयकर'' के अनुपालन में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 31.51 लाख रुपये की शुद्ध वृद्धि को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

(रू. लाख में)

विवरण	मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर	
परिसंपत्ति	31.51
कुल	31.51

(रू. लाख में)

आस्थगित कर की गणना	31.03.2024
क) मूल्यह्रास खाते पर परिसंपत्ति	–
आयकर अधिनियम के अनुसार अचल संपत्ति का डब्ल्यूडीवी	–
लेखा बहियों के अनुसार अचल संपत्ति का	–
अंतर	–
ख) प्रारंभिक व्यय के खाते में परिसंपत्ति	13.27
प्रारंभिक व्यय भविष्य में कटौती योग्य के रूप में स्वीकार्य हैं।	18.24
ग) भविष्य में स्वीकार्य अनवशोषित घाटा	
अस्थायी अंतर	31.51
अस्थायी अंतर की शुद्ध राशि	
कर दर	26%
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**31.51**

6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत यथा अपेक्षित 31 मार्च 2024 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी और उक्त बकाया 45 दिनों से कम है।

31.03.2024 तक व्यापार देयताओं की अवधि निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 को (रू. लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई					
(ii) अन्य	**23.64**	–	–	–	–
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया–अन्य	–	–	–	–	–

7. **इंड एएस 116 के अनुसार प्रकटन 'लीज'**

(क) कंपनी ने इंड एएस 116 के शुरूआती अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं:

(i) समान आर्थिक परिवेश में समान अंतिम तिथि के साथ समान परिसंपत्तियों के पट्टे के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की गई।

(ii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 महीने से कम अवधि वाले तथा छोटे मूल्य वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता न देने की छूट लागू की गई।

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग–अधिकार परिसंपत्ति के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को, यदि कोई हो, बाहर रखा गया है।

(iv) यदि अनुबंध में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय पश्चदृष्टि का उपयोग किया जाता है।

(ख) कंपनी ने शून्य लाख रुपये की पट्टा देनदारियों और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की समतुल्य राशि को मान्यता दी है।

(ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर शून्य है।

लीज के तौर पर कंपनी

(i) निम्नलिखित, मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं की अग्रणीत राशियां तथा अवधि के दौरान होने वाली गतिविधियां हैं :

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	
– पट्टा देयताओं में वृद्धि	
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	
– पट्टा देयताओं का भुगतान	
जमा शेष	
गैर चालू	
चालू	

(ii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(रू. लाख में)

3 महीने या उससे कम	31 मार्च, 2024 के अनुसार
3–12 माह	
1–2 वर्ष	
2–5 वर्ष	
5 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2024, को पट्टा देयताएं	

(iii) ई.डी.सी. में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नलिखित हैं:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास व्यय	
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	

(iv) पट्टों के विरुद्ध नकदी प्रवाह की राशियाँ निम्नलिखित हैं:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार
पट्टों के विरुद्ध नकद बहिर्वाह	

8. क) कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। जहां तक व्यापार/अन्य देय और ऋण तथा अग्रिमों का संबंध है, मानक लेखा परीक्षा (एसए) 505 (संशोधित) "बाह्य पुष्टि" में संदर्भित

नकारात्मक कथन के साथ शेष राशि के पुष्टि पत्र पार्टियों को भेजे गए थे। ऐसे कुछ शेष राशि की पुष्टि/समाधान किया जाना है। समायोजन, यदि कोई हो, तो उसकी पुष्टि/समाधान पर हिसाब लगाया जाएगा, प्रबंधन की राय में जिसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान वसूली गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, तुलनपत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

9) लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(रू. लाख में)

		2023–24
I.	सांविधिक लेखापरीक्षा फीस (जीएसटी सहित)	1.77
II.	कराधान मामले के लिए (कर लेखा परीक्षा)	–
III.	कंपनी के कानून मामले के लिए	–
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	–
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	–
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	–

*वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन

10) क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलनपत्र के बीच नकदी और नकदी समकक्षों का पुनर्मिलान निम्नानुसार है:

(रू. लाख में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2024
नकद और नकदी समतुल्य	6	57.64
जोड़ें: ग्रहणाधिकार के तहत बैंक शेष		0.00
घटाएँ: ओवरड्राफ्ट शेष		0.00
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकदी समतुल्य		57.64

ख) मार्च 2017 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' में संशोधन अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम 2017 जारी किए। ये संशोधन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल 2017 से लागू हैं और इनमें अतिरिक्त प्रकटन किए गए हैं, जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। इसमें प्रकटीकरण की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों के फलस्वरूप होने वाली देनदारियों के लिए तुलनपत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच सामंजस्य बनाने का सुझाव दिया गया है।

11) इंड एएस 19 के प्रावधान के तहत प्रकटीकरण

चूंकि सभी कर्मचारी अपनी मूल कंपनी – टीएचडीसीएल से सेकंडमेंट आधार पर हैं, इसलिए कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाएं, अनुपस्थिति मुआवजा और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं जो मूल कंपनी के साथ व्यवस्था के अनुसार हैं। कंपनी को अपनी मूल कंपनी के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं में एक निश्चित योगदान देना है जो संबंधित ट्रस्टों के माध्यम से इन निधियों का रखरखाव करते हैं। तदनुसार, इन कर्मचारी लाभों को परिभाषित योगदान स्कीम के रूप में माना जाता है।

(रू. लाख में)

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (2023–24)	प्रारंभिक	चालू वर्ष	समापन	परिवर्तन	अभ्युक्तियां
जारी शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	0.00	500.00	500.00	500.00	टीएचडीसीआईएल से 370 रुपये और आरआरई –सीएल से 130 रुपये
दीर्घकालिक उधार (बांड एवं अन्य सुरक्षित ऋण– पट्टा दायित्व)	-	-	-	-	-
ऋण पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत	-	-	-	-	-
घटाएं पूंजीकृत –सीडब्ल्यूआईपी	-	-	-	-	-
लाभांश भुगतान और लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-
अनुदान	-	-	-	-	-
वित्तपोषण से शुद्ध नकदी प्रवाह	-	-	-	-	-

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–लखनऊ

ह०
(नीरज वर्मा)
नामित निदेशक
डीआईएनः 10478314

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–कौशाम्बी

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–जयपुर

हमारी संलग्न समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर.के.मालपाणी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफआरएन 002759सी

ह०
(राकेश झालनी)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 074142
यूडीआईएन : 24074142BKGUCH1588
दिनांकः 10.05.2024
स्थान–जयपुर

12) अनुपात विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 (अलेखापरीक्षित)	अंश	विभाजक
1	2	3	4	5
क	वर्तमान अनुपात	0.09	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देनदारियां
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	0	कुल ऋण	निवल मूल्य
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	0	(करों के बाद शुद्ध लाभ+ऋण पर ब्याज +मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय+ अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि)	(ऋण पर ब्याज + दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती)
घ	इक्विटी अनुपात पर लाभ	–20.49%	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत हितधारक की इक्विटी
ड.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	0	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री
च	ऋणी टर्नओवर अनुपात	0	प्रचालन से राजस्व (शुद्ध ऋण बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्य
छ	व्यापार देय कारोबार अनुपात	0	शुद्ध उधार खरीद	औसत व्यापार देय
ज	निवल पूंजी कारोबार अनुपात	0	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी
झ	निवल लाभ सीमा	0%	करों के बाद शुद्ध लाभ	सकल बिक्री
अ.	नियोजित पूंजी पर लाभ	–26.79%	ब्याज एवं करों से पूर्व आय	नियोजित पूंजी
ट	निवेश से लाभ	0.00%	निवेश से आय	निवेश

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–लखनऊ

ह०
(नीरज वर्मा)
नामित निदेशक
डीआईएनः 10478314

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–कौशाम्बी

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांकः 09.05.2024
स्थान–जयपुर

हमारी संलग्न समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर.के.मालपाणी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफआरएन 002759सी
ह०
(राकेश झालनी)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 074142
यूडीआईएन : 24074142BKGUCH1588
दिनांकः 10.05.2024
स्थान–जयपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड** ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का तुलन पत्र, लाभ और हानि का ब्यौरा (अन्य समग्र आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सार शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') में अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों ('इंड एएस') सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2024 तक कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), तथा उसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), उसके नकदी प्रवाह तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के बारे में सही तथा निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में पूरा ध्यान दिया गया, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल पर अन्य जानकारी तैयार करने की जिम्मेदारी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, और निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें अनुलग्नक, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, और कंपनी से संबंधित अन्य सूचना शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ तथ्यात्मक रूप से असंगत है, या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई गलत जानकारी है, तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम मामले को शासन के प्रभारी लोगों को बताएं और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करें, इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी

और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली तथ्यात्मक गलत बयानी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित तर्कसंगत आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक तथ्यात्मक गलतबयानी, जब वह मौजूद हो, का पता लगाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ हासिल करना ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय स्पष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की

तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, का मूल्यांकन करना तथा यह भी पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

तथ्यात्मक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह तीव्रता होती है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तथ्यात्मकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां भी लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक कथन **''अनुलग्नक क''** में प्रदान करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और निर्दिष्ट मामलों के आधार पर **"अनुलग्नक ख"** में एक विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून में अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

ड़) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी के निदेशकों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर–463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर–463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) कंपनी पर लागू नहीं होती है।.

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के

संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है, जिसके प्रभाव को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक हो।

ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी पूर्वानुमानित हानि, यदि कोई हो, हुई हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. (क) प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या उधार या निवेश के रूप (भले ही उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि की प्रकृति से), इस समझ के साथ प्रदान नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करेगी;

(ग) परिस्थितियों में उचित और समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी मामला नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड़) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में प्रावधान किया गया है, में कोई भी तथ्यात्मक गलत विवरण है।

v. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने लेखाजोखे के बहीखाता के रखरखाव के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए पूरे साल काम करता रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

4) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

कृते आर.के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)
ह०
राकेश झालनी
पार्टनर

सदस्यता संख्या: 074142
यूडीआईएन: 24074142BKGUCH1588

दिनांक: 10/05/2024
स्थान: जयपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक क"

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक 'अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षा पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भितः

1) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित रखा है, इसके अलावा कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाकर रखा है। (ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिसमें संपत्ति के उपयोग का अधिकार शामिल है, को प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिसमें संपत्ति के उपयोग का अधिकार शामिल है, को प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और बहीखातों और भौतिक अचल संपत्तियों के बीच कोई तथ्यात्मक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

   (ख) कंपनी के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है।

   (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

   (घ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप कोई भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2024 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

2) (क) संचालित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी के पास समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(पप) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

   (ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रू से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(पप)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3) कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष के लिए कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है या ऋण के रूप में कोई कर्ज या अग्रिम राशि दी है, भले ही वह सुरक्षित हो या असुरक्षित, और इसलिए आदेश के खंड 3(पपप) क से च के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है या गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

5) कंपनी ने कोई जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना गया हो। इसलिए, आदेश के खंड 3(अ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

6) कंपनी द्वारा किए जाने वाले कारोबार के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार की ओर से लागत का रिकॉर्ड बनाए रखना निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

7) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी सामान्यतः उपयुक्त अधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया राशि नियमित रूप से जमा कर रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,

उपरोक्त के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2024 तक देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क का कोई बकाया नहीं है।

8) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में वापस या प्रकट किया गया हो।

9) (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(पग)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(पग)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर पाया गया है कि, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(पग)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर पाया गया है कि, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(पग)(ङ.) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(पग)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

10. (क) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक ऑफर या ऋण लिखतों तथा सावधि ऋणों सहित आगे के सार्वजनिक ऑफर के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (पग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रमोटरों को उनके मूल आवंटन के अनुपात में वित्तीय वर्ष के दौरान 500 लाख रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने के अलावा शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

11) (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा के निर्धारण में वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (गपप) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13) हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14) हमारी राय में कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और इसका टर्नओवर और चुकता शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के तहत निर्दिष्ट सीमा से कम है, इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है और इसलिए आदेश का खंड 3 (गपअ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

15) हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर—नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(गअप)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, कंपनी कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(गअप)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

17) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः 133.97 लाख रुपये की नकद हानि हुई है।

18) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

19) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल तथा प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें भरोसा हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलनपत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हमारा कहना है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हमें आगे कहना है कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियां कंपनी चुका देगी।

20) कंपनी की कुल संपत्ति, टर्नओवर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत निर्दिष्ट सीमा से कम है, इसलिए खंड 3 (गग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते आर.के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)
ह०
राकेश झालनी
पार्टनर

सदस्यता संख्या: 074142
यूडीआईएनः 24074142BKGUCH1588

दिनांकः 10 / 05 / 2024
स्थानः जयपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

(स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट में 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित,)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 तक ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन पर, भारतीय सणदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक बित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही भारतीय सणदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और इसे बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के भौतिक त्रुटिपरक विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता

और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जो:

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन–देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अवहेलना की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय सणदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन टिप्पण में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते आर.के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)
ह०
राकेश झालनी
पार्टनर

सदस्यता संख्याः 074142
यूडीआईएनः 24074142BKGUCH1588

दिनांकः 10/05/2024
स्थानः जयपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट में 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित,
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं:–

क्र. सं.	दिशानिर्देश	की गई कार्रवाई	इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि नहीं, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेनदेन की प्रोसेसिंग से खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए?	संचालित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कोई भी लेखा लेनदेन आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित/ संचालित नहीं किया गया है। तदनुसार, खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	नहीं
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/अग्रिम/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब–किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।	संचालित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं बनाया था।	
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकारों या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं?	ऐसी कोई धनराशि या सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई।	

कृते आर.के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)
ह०
राकेश झालनी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 074142
यूडीआईएन: 24074142BKGUCH1588

दिनांक: 10/05/2024
स्थान: जयपुर

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों / उप–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों / उप–निर्देशों का पालन किया है।

कृते **आर.के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स**
चार्टड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)
ह०
राकेश झालनी
पार्टनर

सदस्यता संख्याः 074142
यूडीआईएनः 24074142BKGUCH1588

दिनांकः 10 / 05 / 2024
स्थानः जयपुर

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

दिनांक : 05.06.2024

सेवा में,

अध्यक्ष,

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड,

जयपुर, राजस्थान।

विषयः 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाएं।

भवदीय

ह०

(संजय कु. झा)
महानिदेशक

संलग्नकः यथोपरि।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05.06.2024

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित्त वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(7) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 10 मई, 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह०

(संजय कु. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05.06.2024

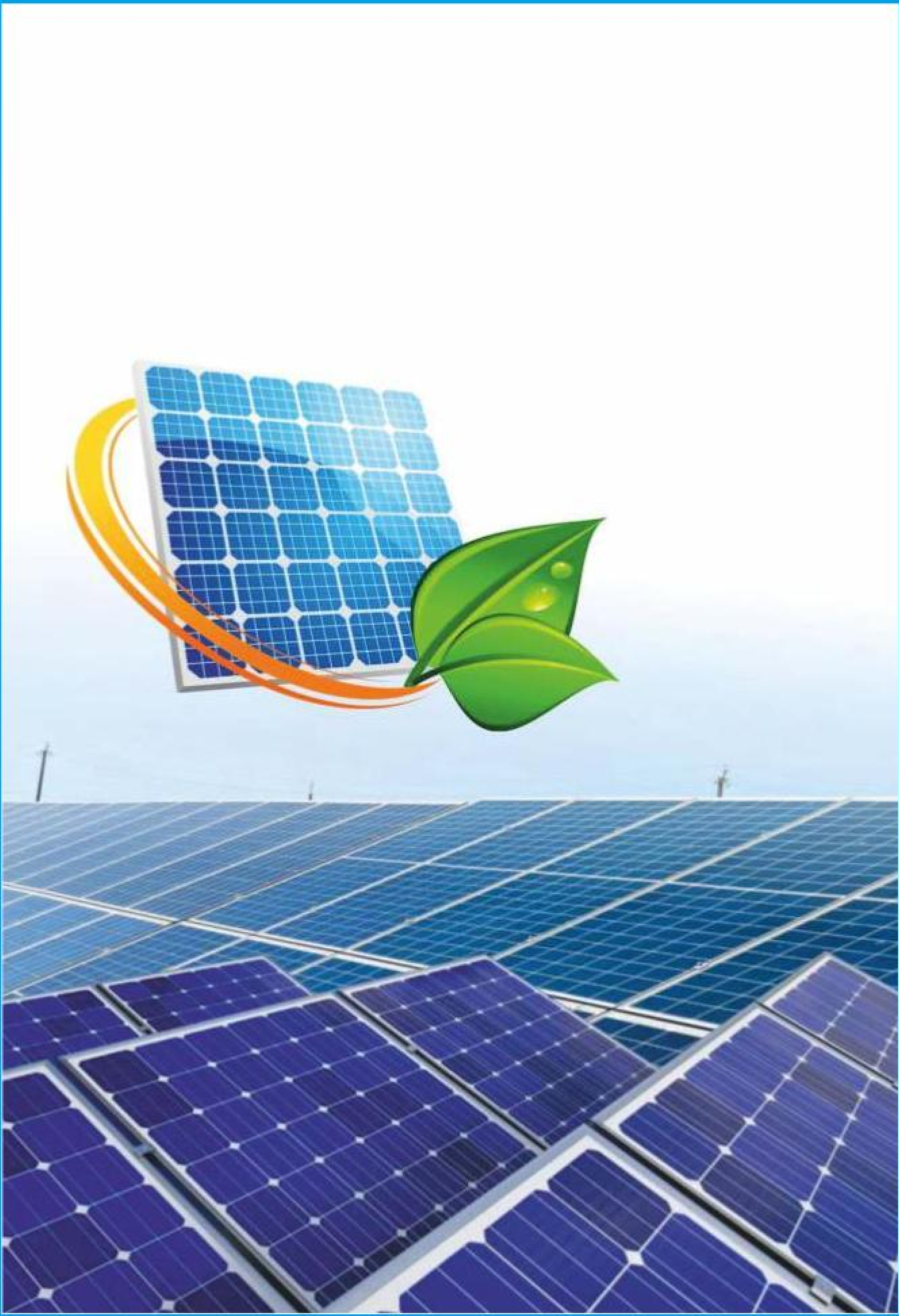

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
TREDCO RAJASTHAN LIMITED

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

(A Joint Venture of THDC India Ltd. & Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited)

CIN : U35106RJ2023GOI086546

पंजीकृत कार्यालयः एस–12, ज्योति नगर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान–302005

Registered Office : S-12, Jyoti Nagar Extension, Jaipur, Rajasthan-302005

speedways46@gmail.com